भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन 2012-13

पटना

विषय ूची

अध्यक्ष के कलम से		ii
वर्ष 2012-13 की उपलब्धियॉ		iii
1.	प्रस्तावना	1
2.	बाढ़ प्रबंधन की बृहत् योजनाएँ	11
3.	ड़क एवं रेल पुलों के नीचे जलमार्गों की पर्याप्तता का आंकलन	13
4.	बाढ़-प्रबंधन कार्यक्रम	14
5.	बाढ़-प्रबंधन योजनाओं का परीक्षण	16
6.	राज्यवार चल रही बाढ़-प्रबंधन योजनाओं का मॉनिटरिंग	25
7.	नदी प्रबंधन तथा सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य	30
8.	पड़ोसी देशों के साथ हयोग	37
9.	हिंदी के प्रयोग की प्रगति	41
10.	प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं एवं `मिनारों में भागीदारी	43
11.	विभिन्न मितियों में गंगा बाढ़ नियंत्रण आ योग का प्रतिनिधित्व	44

अध्यक्ष के कलम `

गंगा बेसिन में बिहार , झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्ती गढ़, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली राज्य आते हैं। मान ून अवधि के दौरान इ के एक क्षेत्र या अनेक क्षेत्रों में बाढ़ का आना एक वार्षिक घटना है। जैसा कि गंगा ए क अन्तर्राज्जीय नदी है, अतः यह आवश्यक है कि बेसिन के बाढ़ ` ंबंधित मस्याओं के निदान के लिए एक मेकित योजना बनायी जाय तथा इनका कार्यान्वयन मन्वित एवं ुनिश्चित तरीके ` की जाए। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन जल ंसाधन मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में वर्ष 1972 में की गई। आयोग ने प्रारंभ ` ही गंगा बेसिन क्षेत्र में बाढ़ ` निपटने में राज्यों को मदद देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अपने एक अधिदेश के अनु ार आयोग ने गंगा बे िन की भी 23 नदी पद्धतियों की बृहत् योजना तैयार कर इन योजनाओं में दिए गए ुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु इ ` राज्य रकारों को भेजा है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने वर्ष 2012-13 में ौंपे गए कार्यों को पूरी दक्षता एवं प्रभावशाली ढंग ` निष्पादित किया है जि का विस्तृत वर्णन इ रिपोर्ट में दिया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत रकार द्वारा आरंभ की गई राष्ट्रीय महत्व की बाढ़- प्रबंधन कार्यक्रम की योजना में गंगा बाढ़ नियंत्रण योजना की क्रिय भूमिका के बारे में विशेष रूप ` उल्लेख है। इ दौरान इन योजनाओं पर अच्छी प्रगति हु ई। वर्ष 2012-13 के दौरान गंगा बेसिन राज्यों को वितीय हायता के रूप में 104.53 करोड़ रू. की राशि दी गई।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अधिकारियों ने बाढ़ एवं जल निका प्रबंधन ` ंबंधित विषयों में नेपाल एवं बंगलादेश रकारों के ाथ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के मा धान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नेपाल में लालबकेया , बागमती और कमला जैसी अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के तटबंध विस्तार की योजनाओं में अच्छी प्रगति हुई है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है तथा मुझे विश्वा है कि यह प्रतिवेदन गंगा बे िन में इ वर्ष के दरम्यान बाढ़-प्रबंधन के क्षेत्र में तथा अन्य ंबंधित कार्यों में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की भूमिका और इ के योगदान की एक बृहत् छवि प्रस्तुत करेगा।

बिभा कुमार

(बिभा कुमार)
अध्यक्ष
गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

वर्ष 2012-13 की उपलब्धियाँ

1. गंगा बेसिन राज्यों के 38 बाढ़ प्रबंधन योजनाओं का तकनीकी- आर्थिक मूल्यांकन किया गया। इ मे ` 20 योजनाओं को तकनीकी- आर्थिक रूप ` गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग / तकनीकी लाहकार मिति-जल ंसाधन मंत्रालय की मंजूरी प्रदान की गई। बाकी की 18 योजनाओं का परीक्षण किया गया और टीका-टिप्पणी राज्य रकारों को भेजा गया।

2. बिहार, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 31 बाढ़-प्रबंधन योजनाओं का अनुश्रवण किया गया और वर्ष 2012-13 के दौरान राज्यों को केन्द्रीय हायता दिए जाने की अनुशं ा की गई।

3. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग नेपाल में कमला , वागमती और लालबकेया नदियों पर भारत रकार द्वारा वित्त पोषित तटबंध निर्माण कार्य का अनुश्रवण करती है। इ के लिए जल प्लावन एवं बाढ़-प्रबंधन पर गठित भारत-नेपाल ंयुक्त मिति की मार्च 2013 में एक बैठक हुई।

4. पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के ाथ ाझी / ीमा नदियों पर तट ुरक्षा हेतु योजनाएं, जिसका कार्यान्वयन प्लान स्कीम "नदी प्रबंधन क्रिया-कलाप और ीमा क्षेत्र कार्यों" के तहत की जा रही है, का गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा अनुश्रवण किए गए।

5. वर्ष 2013 के बाढ़ के पूर्व को ी नदी और गंडक नदी के दाहिने किनारे पर किए जाने वाले बाढ़ प्रबंधन कार्यों की अनुशं ा अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के नेतृत्व में को ी उच्चस्तरीय मिति और गंडक उच्चस्तरीय मिति द्वारा की गई।

6. को ी और रूपनारायण- हल्दी-र ूलपुर नदी प्रणाली की बृहत् योजना के अद्यतन करने का कार्य प्रगति पर है।

7. केन्द्रीय जल मंत्री की अध्यक्षता में गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् की 16वीं बैठक दिनांक 16.1.2013 को नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें बाढ़ और इ के प्रबंधन विषयों ` ंबंधित अनेक मुद्दों पर गंगा बेसिन राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार-विमर्श किए गए और इ ` ंबंधित निर्णय लिए गए।

1 प्रस्तावना

1.1 गंगा बे िन में बाढ़ की मस्याएं

दो पवित्र नदियां, अलकनन्दा और भागीरथी, हिमालय के लगभग 7000 मी. की ऊंचाई पर स्थित हिम चोटियों ` निकली हैं और देवप्रयाग के निकट एक हो गयी हैं। यह एकीकृत नदी गंगा नदी के नाम ` जानी जाती है और अपने रास्ते ` होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी के ंगम तक 2525 कि.मी. (उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में 1450 कि.मी., उत्तर प्रदेश एवं बिहार की ीमा ` ट कर 110 कि.मी., बिहार एवं झारखंड में 445 कि.मी. तथा पश्चिम बंगाल में 520 कि.मी.) दूरी तय करती है । गंगा नदी की महत्वपूर्ण हायक नदियां रामगंगा , गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, को ी, कमला, बागमती एवं महानन्दा इ के बांयी ओर ` मिलती है जबकि इ के दाहिने ओर ` यमुना, टोन्स, ोन, किऊल, अजय, दामोदर, पुनपुन एवं रूपनारायण नदियां मिलती हैं। गंगा नदी , गंगा बे िन राज्यों की एक प्रमुख जल निका मार्ग है। यह गंगा बे िन के कुल आवाह क्षेत्र 10.68 लाख वर्ग कि.मी. का जल निस् रण करती है जिनमें ` 8.61 लाख वर्ग कि.मी. भारत में अवस्थित है । गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी ामान्यतः जलोढ़ है। वाएं किनारे की भी प्रमुख नदियां जो गंगा में मिलती है , उनका उद्गम स्थल हिमालय पर्वत है। जबकि , यमुना को छोड़कर जि का उद्गम स्थल भी हिमालय है , शेष भी विंध्य पर्वत श्रृंखला या गंगा और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित पठार ` निकली है।

विभिन्न गंगा बेसिन राज्यों में ` बिहा र राज्य का मुख्यतः उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग एवं पश्चिम बंगाल बाढ़ ` अत्यधिक प्रभावित राज्य हैं। बाढ़ की मस्या अन्य गंगा बेसिन राज्यों में इतनी गंभीर नहीं है। गंगा बेसिन में बाढ़ की मस्याओं के ंक्षिप्त कारण निम्न हैं:-

1. आवाह क्षेत्र में लम्बी अवधि तक भारी वर्षा का होना।
2. वर्षा ऋतु में गंगा नदी द्वारा जल निका मार्ग का अवरूद्ध होना।
3. वर्षा ऋतु के दौरान नदी द्वारा तट का कटाव।
4. नदी के वि र्पी होने के कारण भूमि, म्पत्ति एवं जीवन की क्षति।
5. तटबंधों की अपर्याप्त क्षमता।
6. बाढ़ नियंत्रण ंरचनओं की खराब अनुरक्षण के फलस्वरूप वर्षा ऋतु के दौरान उनका क्षतिग्रस्त होना।

7. नदियों के बाढ़ प्रवृत मैदानी क्षेत्र में अवस्थित गांवों का जलमग्न होना।

गंगा नदी एवं इ की हायक नदियों का तल ढलान ऊपरी क्षेत्र में बहुत अधिक ढालू है, जो कि आगे मध्य क्षेत्र में मतल और निचले क्षेत्र में तल बराबर हो जाता है। ऊपरी मार्ग में गंगा नदी अत्यधिक कटाव तथा तल क्षरण के लिए प्रबल मानी गयी है यानि बहुत खराब अवनति। प्रवाह द्वारा क्षरित पदार्थ नीचे आ जाते हैं तथा मध्य मार्ग कटाव एवं अधिवृद्धि दोनों ही के ाक्षी हैं। निचला क्षेत्र जहां का तल ढलान मतल है तथा वेग कम है , ऐ ` में ंचयन प्रक्रिया अर्थात् नदी तल का अव ादन एवं अभिवृद्धि प्रबल होती है। गंगा नदी की विशर्पी अवस्था के कारण कटाव एवं अव ादन की घटना एक ाथ होती है।

गंगा बेसिन 11 राज्यों यथा- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश , हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश , राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्ती गढ, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला है। गंगा बेसिन को 23 नदी पद्धतियों में विभाजित किया गया है जोकि निम्नवत है:-

1. गोमती
2. अधवारा मूह
3. घाघरा
4. महानन्दा
5. कमला बलान
6. बूढ़ी गंडक
7. बागमती
8. पुनपुन
9. को ी
10. गंडक
11. अजय
12. किऊल-हरोहर
13. दामोदर
14. मयूराक्षी
15. यमुना

16. रामगंगा

17. टोन्स

18. बदुआ-चन्दन

19. रूपनारायण-हल्दी-र ूलपुर

20. जालंगी

21. सोन

22. ज्वारीय नदियां

23. गंगा की मुख्य धारा

इनमें ` अधिकांश नदियां अन्तर्राज्जीय हैं तथापि कुछ एक राज्यीय हैं।

इन राज्यों का बाढ़ ` प्रभावित कुल क्षेत्र 20.40 मिलियन हे0 है जो देश में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत है तथा इ ` हर ाल बार- बार बाढ़ के कारण जान- माल की भारी क्षति होती है ।

गंगा बेसिन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की राज्यवार ब्योरा नीचे दिए गए हैं:-

क्र॰ ` ॰	राज्य	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (लाख हेक्टर में)	
		राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा किया गया आकलन	11वीं योजना के कार्यकारी ग्रुप को राज्यों द्वारा ूचित
1.	हिमाचल प्रदेश	2.30	2.31
2.	हरियाणा	23.50	23.50
3.	दिल्ली	0.50	0.70
4.	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड हित)	73.36	73.40
5.	राजस्थान	32.60	32.60
6.	मध्य प्रदेश (छतीसगढ़ हित)	2.60	3.37
7.	बिहार (झारखंड हित)	42.60	68.80
8.	पश्चिम बंगाल	26.50	37.66
	कुल	**203.96**	**242.34**

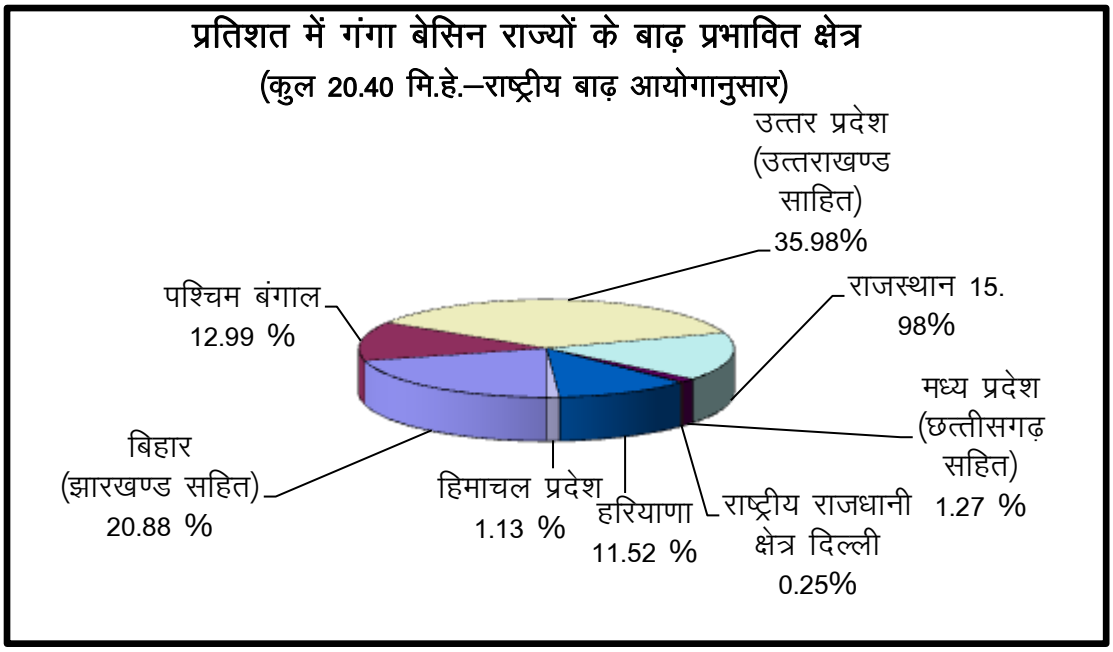

1.2 गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद्

गंगा बेसिन की गंभीर एवं चिरकालिक बाढ़ मस्याओं का प्रभावी ढंग ` ामना करने तथा उ ` होने वाली क्षति को बहुत हद तक कम करने के उद्धेश्य ` बाढ़-प्रबंधन, कटाव नियंत्रण इत्यादि कार्य करने के लिए एक मेकित योजना बनाने तथा त्वरित जल निका मार्ग की ुविधा प्रदान करने तथा इ का एक बृहत् एवं मन्वित रूप में कार्यान्वयन की आवश्यकता मह ू की गई। इन उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए भारत रकार , जल ंसाधन मंत्रालय के ंकल्प ं . एफ.सी.-47(2)/72 दिनांक 18.4.1972 द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् (जी.एफ.सी.बी.) का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष माननीय केन्द्रीय जल ंसाधन मंत्री हैं।

कार्य :

- विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नीतियां तैयार करना एवं उ के कार्यान्वयन की प्राथमिकता निर्धारित करना।
- गंगा बे िन में बाढ़ नियंत्रण की बृहत् योजना तैयार कर ने के ंबंध में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को आवश्यक दिशा- निर्देश जारी करना तथा तद् नु ार बनाई गई योजनाओं का अनुमोदन करना।

1.3 गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् का गठन

जल ंसाधन मंत्रालय के ंकल्प ंख्या 22/3/99-पू.न./2586 दिनांक 28.6.2001 द्वारा अधि ूचित गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् का गठन नीचे दिया गया हैः

1. केन्द्रीय जल ंसाधन मंत्री - अध्यक्ष
2. केन्द्रीय जल ंसाधन राज्य मंत्री - दस्य +

3.	केन्द्रीय वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
4.	केन्द्रीय रेल मंत्री या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
5.	केन्द्रीय ड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
6.	केन्द्रीय कृषि मंत्री या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
7.	मुख्य मंत्री, बिहार या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
8.	मुख्य मंत्री, प0 बंगाल या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
9.	मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
10.	मुख्य मंत्री, हरियाणा या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
11.	मुख्य मंत्री, राजस्थान या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
12.	मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
13.	मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
14.	मुख्य मंत्री, झारखण्ड या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
15.	मुख्य मंत्री, उत्तराखंड या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
16.	मुख्य मंत्री, छत्ती गढ़ या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
17.	सदस्य, योजना आयोग	-	दस्य
18.	मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या उनके प्रतिनिधि	-	दस्य
19.	अध्यक्ष, गंगाबाढ़ नियंत्रण आयोग	-	दस्य- चिव

+ केन्द्रीय जल ं ाधन मंत्री की अनुपस्थिति में अध्यक्ष

मार्च, 2013 तक गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् की 16 बैठकें आयोजित हुई हैं। परिषद् की 16वीं बैठक 16 जनवरी, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। इ बैठक में गं गा बेसिन राज्यों के बाढ़ और प्रबंधन ंबंधी विषयों पर विचार- विमर्श किए गए और अनुवर्ती कारवाई की रूप- रेखा तैयार की गई।

1.4 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

गंगा बे िन राज्यों में बाढ़ की मस्याओं के निदान एवं उ के प्रबंधन हेतु भारत रकार ने अपने ंकल्प ं. एफ.सी.-47(2)/72 दिनांक 18.4.1972 के द्वारा वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई। यह जल ंसाधन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और यह गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् के चिवालय एवं कार्यपालक स्कंध के रूप में कार्य करता है। इ का मुखयालय पटना में है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन निम्नवत् है :-

1.	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पूर्ण कालिक दस्य	-	अध्यक्ष
2.	सदस्य(योजना), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	-	दस्य
3.	दस्य (मन्वय), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग आयोग के अंशकालिक दस्य	-	दस्य
4.	मुख्य अभियंता , बाढ़ नि यंत्रण प्रभारी , जल ंसाधन विभाग , बिहार	-	दस्य

रकार

5. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, जल ंसाधन विभाग, झारखण्ड रकार - दस्य
6. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश रकार - दस्य
7. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड रकार - दस्य
8. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, प॰ बंगाल रकार - दस्य
9. अभियंता प्रमुख, जल ंसाधन विभाग, मध्य प्रदेश रकार - दस्य
10. अभियंता प्रमुख, जल ंसाधन विभाग, छत्ती गढ़ रकार - दस्य
11. सदस्य(नदी प्रबंधन), केन्द्रीय जल आयोग, भारत रकार, नई दिल्ली - दस्य
12. निदेशक, केन्द्रीय जल एवं शक्ति अनु ंधान केन्द्र, भारत रकार, पूणे - दस्य
13. मुख्य अभियंता(निचली गंगा बेसिन), केन्द्रीय जल आयोग, भारत रकार, पटना - दस्य
14. मुख्य अभियंता (योजना) ड़क स्कंध, डक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत रकार - दस्य
15. निदेशक(सिविल अभियंत्रण स्कंध), रेलवे बोर्ड, भारत रकार - दस्य

आयोग के स्थायी आमंत्रित दस्य

1. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, हरियाणा रकार
2. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, हिमाचल प्रदेश रकार
3. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, राजस्थान रकार
4. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रकार
5. निदेशक(बी.एण्ड.एस.), आर.डी.एस.ओ., रेल मंत्रालय, लखनऊ

1.5 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के कार्य

आयोग को मूल रूप ` ौंपे गए कार्य निम्नवत हैं :-

(क) गंगा बेसिन में बाढ़-नियंत्रण की बृहत् योजना तैयार करना।

(ख) ंबंधित राज्यों द्वारा बेसिनवार योजनाओं में शामिल कार्यों के कार्यान्वयन का चरणबद्ध एवं मन्वित रूपरेखा प्रस्तुत करना।

(ग) कार्यों एवं उनके नियमित अनुरक्षण का उचित मानक ुनिश्चित करना।

वर्त्तमान में जी.एफ.सी.सी. का विस्तृत कार्य इ प्रकार हैं:

- गंगा बेसिन में बाढ़- प्रबंधन की बृहत् योजना तैयार करना। गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा दिए गए निर्देश के अनु ार राज्य रकारों के द्वारा इ का म के लिए क्षेत्र अन्वेषण एवं आंकड़ा ंकलन का कार्य करना।
- बेसिनवार योजनाओं में म्मिलित कार्यों के कार्यान्वयन का चरणबद्ध एवं मन्वित कार्यक्रम तैयारकरना।

- ंबंधित राज्यों को उचित मानकों के अनु ार कार्यों का कार्यान्वयन ुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, ामग्री विनिर्देश एवं उनके अनुरक्षण के ंबंध में दिशा-निर्देश पालन हेतु लाह देना।
- परिषद् के विचारार्थ, जब कभी आवश्यकता हो , तो कार्यों ` ंबंधित वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना एवं निधि आवंटन की अनुशं ा करना।
- ड़क एवं रेल पुलों के नीचे मौजूदा जल निका मार्गों का आंकलन एवं जल निस् रण के अवरोध को यथोचित ीमा तक कम करने के लिए अतिरिक्त जल मार्गों का निर्धारण करना।
- महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्र ण योजनाएं विशेषकर वह जो केन्द्रीय हायता प्राप्त कर रही हैं या केन्द्रीय `क्टर में क्रियान्वित हो रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना।
- ताजेवाला ` ओखला बराज तक के क्षेत्र में यमुना नदी पर हरियाणा , उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली राज्यों की योजनाओं को छोड़कर गंगा ब- बेसिन की भी बड़ी एवं मध्यम बाढ़-नियंत्रण, जल निका , जल जमाव रोधी और कटावरोधी योजनाओं की जांच।
- बे िन राज्यों द्वारा मुचित उपयोग के लिए वैज्ञानिक ंगठनों के ाथ मिलकर किए गए विशेष अध्ययनों या अन्वेषणों ` प्राप्त निष्कर्षों का प्रलेख एवं प्रसार करना।
- सभी अंतर्राज्जीय बाढ़ नियंत्रण योजनाओं हित राज्यों द्वारा निष्पादित किए गए प्रमुख बाढ़ नियंत्रण उपायों की कार्यकारिता का मूंल्याकन करना।
- बाढ़ प्रबंधन विषय ` ंबंधित भारत रकार एवं गंगा बेसिन राज्यों द्वारा गठित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मितियों में भाग लेना।

गंगा बेसिन में बाढ़-प्रबंधन की बृहत् मास्टर योजनाएं तैयार करने तथा उनका मय- मय पर अद्यतन करने के काम के ाथ गंगा बेसिन में बाढ़-प्रबंधन योजनाओं का तकनीकी एवं आर्थिक परीक्षण का कार्य भी जी .एफ.सी.सी. करता है । इ` नेपाल के ाथ बाढ़- प्रबंधन ` ंबंधित अनेक क्रिया-कलापों में मन्वय का काम भी दिया गया है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अबतक कुल 44 बैठकें अयोजित हो चुकी हैं। जी .एफ.सी.सी. की 44वीं बैठक नई दिल्ली में 12 मार्च, 2013 को आयोजित हुई थी। इन बैठकों में गंगा बे िन ` ंबंधित विभिन्न विषयों जैसे- राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की अनुशं ाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति, फ्लड प्लेन जोनिंग/फ्ल्ड रिस्क मैपों को तैयार करना, ब बे िनवार बृहत योजनाओं का कार्यान्वयन, बाढ़-प्रबंधन योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन, फ्ल्ड प्लेन क्षेत्र के आलेखन के लिए रिमोट `न्सिंग तकनीक/ उपग्रह चित्रण का उपयोग, बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के निर्माण एवं निष्पादन ` पहले मॉडल अध्ययन की आवश्यकता के आंकलन का काम किया जाना , बाढ़ प्रबंधन योजनाओं का वार्षिक ूची पत्र तैयार करना आदि पर विचार- विमर्श किया गया तथा विभिन्न गंगा बेसिन राज्यों / ंबंधित केन्द्रीय ंगठनों द्वारा इ पर अनुगामी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

1.6 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

संगठन चार्ट

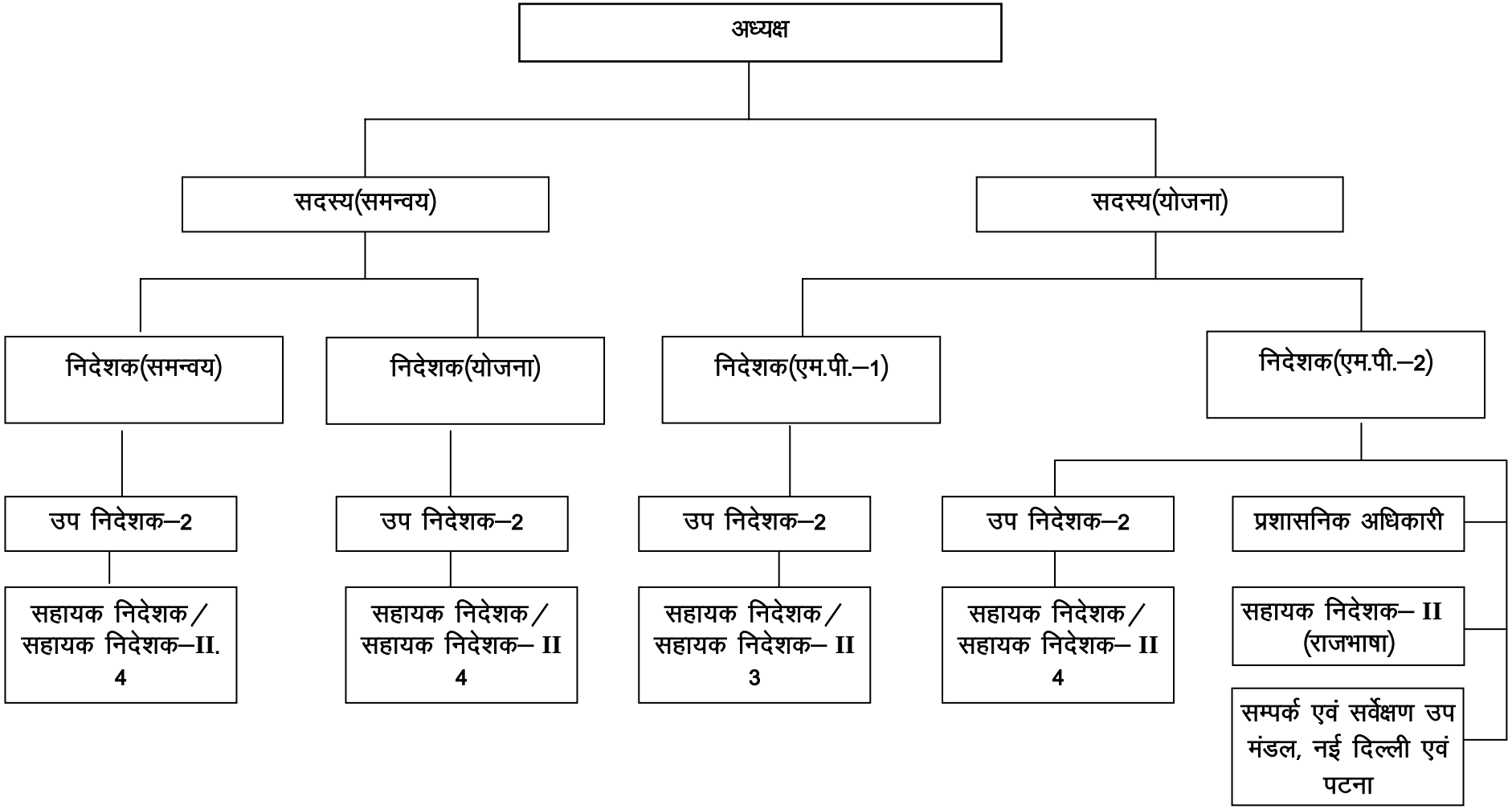

1.7 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में अधिकारियों / कर्मचारियों की ंख्या

गंगा बाढ़ नियंत्रण के कुल 101 स्वीकृत पदों में ` िर्फ 69 पदों को 2012-13 के दौरान जारी किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। 31.3.2013 को भरे हुए पदों की ंख्या 55 थी। पदों का विवरण निम्नवत है:

क्र.॰	मूह	स्वीकृत पद	2012-13 के दौरान जारी के लिए अनुमान्य पद		
			कुल पद	भरे हुए पद	रिक्त
1.	क	23	18	14	4
2.	ख (राजपत्रित)	13	9	6	3
3.	ख (अराजपत्रित)	7	7	6	1
4.	ग	42	24	19	5
5.	घ	16	11	10	1
कुल		**101**	**69**	**55**	**14**

इ के अतिरिक्त 18 कार्यभारित कर्मचारीगण, जिनमें 3 चालक, 3 कार्य हायक एवं 12 खला ी है, भी गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के विभिन्न क्रिया-कलापों के म्पादन हेतु कार्यरत हैं । 'क' मूह के भी पद एवं 'ख (राजपत्रित)' मूह के हायक निदेशक ग्रेड- II का पद केन्द्रीय जल अभियंत्रण `वा के क्रमशः 'क' एवं 'ख' ` आते हैं ।

1.8 तर्कता एवं अनुशा निक मामले

वर्ष 2012-13 के दौरान किसी अधिकारी या अन्य किसी कर्मचारी ` ंबंधित कोई तर्कता या अनुशा निक मामला इ आयोग में लंबित नहीं था ।

1.9 ंद प्रश्नों एवं अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर

1.9.1 वर्ष 2012-13 के दौरान 52 ंद प्रश्नों का उत्तर हेतु ामग्री तैयार की गई तथा मंत्रालय को भेजा गया।

1.9.2 वर्ष 2012-13 के दौरान 17 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर हेतु ामग्री तैयार किया गया तथा जल ंसाधन मंत्रालय को भेजा गया ।

1.10 ूचना के अधिकार नियम-2005 का कार्यान्वयन

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में ूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में निहित निर्देशों को कार्यान्वित किया गया है। आयोग ने अधिनियम के धारा 4(1)(ख) के अनु ार मैनुअल तैयार कर उ`

अपने वैब ाइट http://www.bih.nic.in प्रदर्शित किया है। इ मैनुअल में अधिनियम के अनु ार भी प्रा ंगिक जानकारी दी गई है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में प्रार्थीयों द्वारा किए गए अनुरोध एवं अधिनियम में दिए गए निर्धारित मय- ीमा के अन्दर प्रार्थी को ूचना प्रेषित करने के काम को देखने के लिए एक अपीली प्राधिकारी, एक लोक ूचना अधिकारी एवं एक हायक लोक ूचना अधिकारी भी पदनामित किया गया है । 31.3.2013 तक के अधिकारियों के नाम इ प्रकार हैं:

1.	श्री एस. म ूद हु ैन, दस्य (मन्वय)	अपीलीय प्राधिकारी
2.	श्री रवि भूषण कुमार, निदेशक(एम.पी.-II)	केन्द्रीय लोक ूचना अधिकारी
3.	श्री हर्षवर्द्धन , हायक निदेशक (ंपर्क एवं र्वेक्षण अनुमण्डल, दिल्ली, अतिरिक्त प्रभार)	हायक लोक ूचना अधिकारी

वर्ष 2012-13 के दौरान इ कार्यालय को आठ आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका उत्तर तत्परता ` दिया गया ।

1.11 वित्तीय पहलू

वर्ष 2012-13 के दौरान गंगा बाढ़ नियंत्रणआयोग द्वारा 480.40 लाख रूपये की राशि व्यय की गई । वर्ष 2012-13 के दौरान उप- शीर्षवार अंतिम प्राक्कलन एवं वास्तविक व्यय को दर्शाता विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि रु॰ में)

क्र॰ ं॰	लेखा शीर्ष	अंतिम प्राक्कलन 2012-13	वास्तविक व्यय 2012-13
1.	वेतन	5,24,85,000	3,70,86,377
2.	चिकित्ा	4,00,000	78,068
3.	घरेलू यात्रा व्यय	37,40,000	30,57,983
4.	विदेश यात्रा व्यय	5,00,000	73,193
5.	कार्यालय व्यय	6,50,000	5,02,799
6.	लघु कार्य	90,00,000	64,57,411
7.	मशीनरी एवं उपस्कर	12,00,000	8,14,619
8.	मयोपरि भत्ता	10,000	9,917
कुल		**6,79,85,000**	**4,80,40,367**

---

2 बाढ़ प्रबंधन की बृहत् योजनाए

2.1 बाढ़-प्रबंधन की बृहत् योजना तैयार करना

गंगा बेसिन क्षेत्र में म्मालित ग्यारह राज्यों के किसी न किसी भाग में हर वर्ष बाढ़ का आना एक ामान्य घटना है । अबतक किए गए ुरक्षा कार्यो के अपर्याप्ता के कारण बाढ़ ` व्यापक क्षति होती है। अतः इ बेसिन में बाढ़ , कटाव एवं जल निका मस्याओं का ामना करने के लिए एक मेकित योजना तैयार करना तथा इ के मन्वित रूप ` क्रियान्वित करने की आवश्यकता मह ू की गई । इन्हीं ब बातों को ध्यान में रखते हुए गंगा बे ेन के लिए बाढ़- प्रबंधन की बृहत् योजनाएं तैयार करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन किया गया । मस्त गंगा बेसिन को मोटे तौर पर 23 नदी पद्धतियों में विभाजित किया गया है तथा इन भी 23 नदी पद्धतियों की बाढ़-प्रबंधन की बृहत् योजनाएं वर्ष 1975 से 1990 के बीच तैयार कर ली गयी हैं । ये बृहत् योजनाएं ंबंधित राज्य रकारों को भेजी गई जिस ` कि वे प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन हेतु आवश्यक योजनाएं तैयार कर कें ।

2.2 बाढ़-प्रबंधन की बृहत् योजनाओं को अद्यतन करना

गंगा बेसिन में नदियों की व्यवहार में हो रहे लगातार परिवर्तनों एवं अन्य ंबन्धित कारणों के मद्देनजर भी नदी पद्धतियों की बाढ़-प्रबंधन की बृहत् योजनाओं को अद्यतन करने की आवश्यकता मह ू की गई । यह कार्य वर्ष 1986 में आरंभ किया गया तथा मार्च, 2013 तक गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने 22 नदी पद्धतियों की बृहत् योजनाओं को अद्यतन किया गया है।

अद्यतन की गई बृहत् योजनाओं को भी ंबंधित राज्य रकारों को आगे की अनुवर्ती कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान को ी और रूपनारायण-हल्दी-र ूलपुर नदी प्रणालीयों की बृहत् योजना को अद्यतन करने का काम प्रगति पर है।

2.3 बाढ़ का मॉनिटरिंग और बाढ़ रिपोर्ट तैयार करना

वर्ष 2012 में गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ की स्थिति का मॉनिटरिंग किया गया तथा 18 ाप्ताहिक रिपोर्ट जल ंसाधन मंत्रालय को भेजे गए ।

गंगा बेसिन राज्यों में वर्ष 2012 में बाढ़ की स्थिति का राज्यवार ंक्षिप्त विवरण निम्नवत हैं:

वर्षा

बिहार एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़कर म्पूर्ण गंगा बे िन में वर्ष के मौन ून दौरान वर्षा ामान्य रही ।

गंगा बे िन के नदियों में बाढ़ की स्थिति

केन्द्रीय जल आयोग ` प्राप्त आंकड़ा के अनु ार राज्यवार नदियों में बाढ़ की स्थिति निम्नवत् रही:

उत्तर प्रदेश: गंगा नदी बलिया , नरोरा (डाउन-स्ट्रीम) और गंगपुर ि वान में , घाघरा नदी एलिग्न ब्रिज, अयोध्या, दरौली और तुर्तीपार में, शारदा नदी पालियाकलान में, बूढ़ी राप्ती नदी ककराही में, राप्ती नदी बलरामपुर में, रोहिणी नदी त्रिमोहिनी घाट में और कूवानो नदी चंद्रदीप घाट में मान ून अवधि के दौरान खतरे के निशान ` ऊपर रही ।

बिहार: गंगा नदी गांधीघाट , हाथीदह, कहलगाव और भागलपुर में , को ी नदी ब ुआ , बालतारा और कुरशेला में, बागमती नदी बेनीबाद में, महानन्दा नदी धैंगराघाट और झावा में, कमला बलान झंझारपुर में, अधवारा नदी मूह कमतौल में और बूढ़ी गंडक खगरिया में मान ून अवधि के दौरान खतरे के निशान ` ऊपर रही ।

पश्चिम बंगाल: गंगा नदी फरक्का में, मयूरराक्षी नदी माहरो में और कंगसावती नदी फुलवरिया में मान ून अवधि के दौरान खतरे ` ऊपर रही ।

झारखण्ड: गंगा नदी ाहिबगंज में और दामोदर नदी रामगढ़ और हिंदगीर में मान ून अवधि के दौरान खतरे के निशान ` ऊपर रही ।

अन्य गंगा बेसिन राज्यों में भी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान ` नीचे रहा ।

बाढ़ ` क्षति

किसी भी राज्य ` बाढ़ ` हुई क्षति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई तथापि गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन ंभाग के वैब ाइट पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनु ार वर्ष 2012 के दौरान गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ ` 3.77 लाख आबादी प्रभावित हुए थे। बे िन राज्यों में  433 व्यक्तियों और 5130 मवेशियों की जाने गईं । बाढ़ ` कुल 83728 मकानों को आंशिक / पूर्णतः नुक ान हुआ । 21495 हेक्टेयर क्षेत्र में फ लों को क्षति पहुंची । बाढ़ ` तकरीबन 26103 लाख रूपये का नुक ान हुआ।

---

3 ड़क एवं रेल पुलों के नीचे जलमार्गों की पर्याप्तता का आंकलन

3.1 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का एक और महत्वपूर्ण कार्य ड़क एवं रेल पुलों के नीचे जलमार्गो की पर्याप्तता पर रिपोर्ट तैयार करना है। ड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मौजूदा रेल एवं ड़क पुलों के नीचे जलमार्गों की पर्याप्तता या अन्य कारणों की जांच के लिए अक्सर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को आमंत्रित किया जाता है। इ का उद्धेश्य जल निका मार्गों में जल जमाव को एक ीमा तक कम करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त जल मार्गों का निर्धारण करना है। यह क्रिया- कलाप, जोकि अस् ी के दशक के आखरी में शुरू की गई थी , को गंगा की मुख्य प्रवाह के कुछ स्ट्रेचेज को छोड़कर बाकी भी नदियों के लिए पूरा किया जा चुका है।

इन रिपोर्टों को भी गंगा बेसिन राज्यों तथा केन्द्रीय एवं राज्य रकारों ` ंबंधित विभागों को अनुगामी कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया है।

---

4 बाढ़-प्रबंधन कार्यक्रम

वर्ष 2004 में बिहार, असम एवं पश्चिम बंगाल में आयी अप्रत्याशित बाढ़ के कारण और इन राज्यों में बृहत् पैमाने पर हुई क्षति के परिणामस्वरूप माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर भारत रकार ने बाढ़ मस्या की गंभीरता एवं उ ` उत्पन्न गंभीर ंकट को ध्यान में रखते हुए अगस्त, 2004 में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंधन / कटाव नियंत्रण के लिए एक टॉस्क फो ' का गठन किया गया तथा इ टॉस्क फो ' को असम एवं पड़ो ी राज्यों यथा- बिहार, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने वाली चिरकालिक बाढ़ की मस्या की जांच-पड़ताल करना था। इ टॉस्क फो ' ने इन राज्यों में बाढ़ ` ंबंधित बहुत ारे विषयों पर विचार- विमर्श किया और स्थल पर स्थिति ` निपटने हेतु अनेक ुझाव दिए। मिति ने अपनी रिपोर्ट में इन राज्यों में बाढ़ और कटाव नियंत्रण के लिए अनेक उपाय ुझाए। जल ंसाधन मंत्रालय को टॉस्क फो ' की रिपोर्ट दि म्बर, 2004 में दिया गया।

टॉस्क फो ' एवं ऐ ी ही अन्य मितियों की अनुशं ाओं को ध्यान में रखते हुए , 11वीं योजना अवधि के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य `क्टर के अधीन 8000 करोड़ रू. की योजना की एक रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसका शीर्षक "फ्ल्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम" है। इ योजना में बाढ़-प्रबंधन, तट कटावरोधी, मुद्र तट कटावरोधी, जल निका विका एवं फ् लड प्रूफिंग शामिल हैं। इन प्रत्येक योजनाओं की वित्तीय अनुमोदन चिव(व्यय), वित मंत्रालय, भारत रकार की अध्यक्षता में गठित एक अधिकार प्राप्त मिति द्वारा किया जाता है और यह अनुमोदन ंकटपूर्ण एवं आपात स्थिति एवं वार्षिक बजट में उपलब्ध धन / योजना लागत तथा ंबंधित राज्य रकार द्वारा राज्यांश एवं केन्द्रीय अंश / हिस् ा पर विचार के बाद उपलब्ध कराया जाता है। इ मिति में वित मंत्रालय के अतिरिक्त जल ंसाधन मंत्रालय , पूर्वोत्तर क्षेत्र विका मंत्रालय , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , योजना आयोग के प्रतिनिधिगण शामिल हैं।

योजना आयोग द्वारा दिए गए दिशा- निर्देशों के अनु ार बाढ़-प्रबंधन के लिए विस्तृत योजनाएं कार्यान्वयन करने वाले राज्यों द्वारा तैयार की जाती है तथा तकनीकी- आर्थिक मूल्यांकन हेतु ंबंधित मूल्यांकन एजेन् ी को दी जाती है।

राज्य रकारों को निधि नीचे दिए गए पद्धति के आधार पर केन्द्रीय हायता के रूप में प्रदान किए जाते हैं :-

1. विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए 90 प्रतिशत (विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं उत्तराखण्ड राज्य शामिल हैं)
2. गैर विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए-75 प्रतिशत
3. क्षतिग्रस्त कार्यों के जीर्णोद्धार के लिए 90 प्रतिशत तक केन्द्रीय हायता के रू प में दिए जा कते हैं।

वित्तीय एवं भौतिक प्रबंधन , गुणवत्ता नियंत्रण , कार्यों का मय पर पूर्ण होने आदि की जिम्मेवादी राज्य रकार / कार्यान्वयन एजेन्सी की है।

"फलड् मैनेजमेंट कार्यक्रम" योजना की मॉनिटरिंग अपने-अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग एवं ब्रह् मपुत्र बोर्ड द्वारा किया जाना है। अंतरिक्ष विभाग / एन.आर.एस.सी. रिमोट `न्सिंग तकनीक के माध्यम ` कार्यों की भौतिक प्रगति की मॉनिटरिंग में भी हयोगी है।

कार्य पूर्ण होने के बाद उ की कार्यकारिता मूल्यांकन अध्ययन का काम जैसा विषय हो उ अनु ार केन्द्रीय जल आयोग , जी.एफ.सी.सी., ब्रह्मपुत्र बोर्ड के परामर्श ` कि ी स्वतंत्र एजेन् ी द्वारा कराया जाता है।

निष्पादन हेतु ली गई राज्यवार योजनाएं एवं उनकी स्थिति

11वीं योजना के दौरान (राज्यवार) शुरू की गई बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की योजना एवं उनकी प्रगति का ब्योरा नीचे दी गई हैः

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित योजनाओं की ंख्या	पूर्ण योजनाओं की ंख्या	2012-13 के दौरान प्रगति पर रही योजना (अग्रनीत योजनाएं)
1.	बिहार	46	34	9#
2.	झारखण्ड	3	1	2
3.	पश्चिम बंगाल	11	6	4*
4.	उत्तर प्रदेश	24	6	18
5.	उत्तराखण्ड	12	4	8
6.	हिमाचल प्रदेश	1	-	1
कुल		**97**	**51**	**42**

बिहार की दो योजनाएं ई .सी.-एफ.एम.पी. द्वारा बंद की गई और 01 योजना मापनपूर्व बंद की गई है।

* पश्चिम बंगाल की 01योजना राज्य रकार द्वारा वापस ले ली गई।

---

5 बाढ़-प्रबंधन योजनाओं का परीक्षण

5.1 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में गंगा बेसिन राज्यों ` प्राप्त बाढ़- प्रबंधन योजनाओं का तकनीकी-आर्थिक परीक्षण का काम एक अनवरत क्रिया- कलाप है । योजना आयोग द्वारा 29.6.2013 को जारी की गई दिशा-निर्देशों के अनु ार, 12.5 करोड़ रू. (पूर्व में 7.5 करोड़ रु.) और 25 करोड़ रू. (पूर्व में 15 करोड़ रू.) के बीच की अनुमानित लागत की योजनाओं का तकनीकी- आर्थिक लाभप्रदता की जांच गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा किया जाता है और अगर यह स्वीकार्य योग्य होती है तो इ` जी.एफ.सी.सी. द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा इ` निवेश स्वीकृति हेतु योजना आयोग को अनुशं ित किया जाता है। 12.5 करोड़ रू. ` कम लागत की योजनाएं राज्य स्तर पर ही राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा स्वीकृति की जाती है। 25 करोड़ रू. ` ऊपर की लागत की योजनाएं अगर स्वीकार्य योग्य पाया जाता है तो इ` जी .एफ.सी. ी. द्वारा उ के तकनीकी- आर्थिक मूल्यांकन करने के बाद स्वीकृति हेतु जल ं ाधन मंत्रालय की ि ंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुद्धेश्शीय प्रोजेक्ट की लाहकार मिति को भेजा जाता है।

ामान्यतः 12.5 करोड़ रू. ` कम लागत की योजनाओं की जांच गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग नहीं करता है फिर भी विशेष मामले में जैसे- बांग्लादेश की ीमा ` लगे ाझा / ीमा नदियों पर पूर्वी `क्टर में आकस्मिक बाढ़ ुरक्षा कार्य की योजनाएं जल ं ाधन मंत्रालय , भारत रकार के अनुदेशानु ार जी.एफ.सी.सी. बांग्लादेश के ाथ की ाझा / ीमा की नदियों पर की योजनाओं की ंवीक्षा करती है तथा निधि जारी करने हेतु जल ं ाधन मंत्रालय को अनुशं ा करती है। इ के अतिरिक्त, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में भी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की तकनीकी- आर्थिक पहलू का परीक्षण किया जाता है। चाहे परियोजना लागत कितना ही क्यों न हो।

5.2 2012-13 के दौरान जांच की गई योजनाओं का ब्योरा तथा उनकी स्थिति नीचे दी गई है:

क्र. ं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	स्थिति
	बिहार		
1	Estimate for A.E. work before flood 2012 in between 0.00 km to 28.00 km in Pipra Piprasi embankment	2430.00	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत

क्र॰ ं॰	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु॰ में)	स्थिति
2	Estimate for anti erosion work before flood 2012 in between 28.0 km to 35.0 km of Pipra Piprasi embankment and 0.00 km to 6.68 km of G.H. portion of PPE	411.00	लागत 12.5 करोड़ रु॰ ` कम होने के कारण इसे राज्य स्तर ` ही स्वीकृत किए जाने का ुझाव दिया गया
3	Anti erosion work near villages Khairpur, Raghopur, and Akidatpur at the left bank of river Ganga U/s of Vikramshila Setu in Bhagalpur district	6995.00	परीक्षणाधीन
4.	Anti Erosion work for restoration of spur no. 2,3,4 and 7 and revetment in between spur no. 4 to 7 near villages Ismailpur and Bindtoli at the left bank of river Ganga D/s Vikramshila Stu in Bhagalpur district	9964.00	परीक्षणाधीन
5	Bagaha town protection scheme (Phase- II)	14715.00	परीक्षणाधीन
6.	Anti Erosion work on the right bank of river Ghaghra near Sitab Diara	1854.00	परीक्षणाधीन
7.	Scheme for extension of embankment from Manouber to Phuhia with protection work at vulnerable points and brick soling road on top of embankment in between km 96.50 to 110.48 of right Kamla Balan embankment	6038.00	परीक्षणाधीन
8.	Raising and strengthening of flood protection embankment on Bangari river in East Champaran district	1868.00	परीक्षणाधीन
9.	Raising and strengthening of Lalbakeya left and right embankments, Bargania ring bundh and Doab embankment in East Champaran	3395.00	परीक्षणाधीन
10.	Construction of Head regulator, tagging bundh and edge protection work at Belwa on Bagmati river in Sheohar district (Bagmati flood management scheme, phase- IV (a))	6700.00	परीक्षणाधीन
11.	Anti erosion work at Ramayanpur from Hardeo to Khatti	8120.00	परीक्षणाधीन

क्र. ं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	स्थिति
12.	Mahananda Flood Management Scheme Phase- II	41584.00	परीक्षणाधीन
13.	Bagmati Flood Management Scheme Phase-III	50810.00	परीक्षणाधीन
14.	Bagmati Flood Management Scheme Phase-III (b)	41765.00	परीक्षणाधीन
	पश्चिम बंगाल		
1.	Master Plan and DPR for Ghatal and adjoining area	174000.00	परीक्षण कर टिप्पणी राज्य रकार को भेजी गई
	उत्तर प्रदेश		
1	Flood protection works of historical village Karnvas situated on right bank of river Ganga in Bulandshahar district.	1374.00	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत
2	Flood protection works between dampener DS-2 to Sewerage treatment plant situated in downstream of Anupshahar town on right bank of river Ganga in Bulandshahar district.	1214.00	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत
3	Flood protection works between km 19.50 to km 21.00 of Alinagar - Ranimau bund along right bank of river Ghaghra in district Barabanki.	1467.00	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत
4	Revised project estimate for construction of Mahadewa-Uska bund along right bank of river Kunra in the district of Siddharthnagar.	2776.00	जल ंसाधन मंत्रालय की TAC द्वारा स्वीकृत
5	Scheme: Project estimate for flood protection works of Ushet Tatbund from km 12.700 to km 14.00 on left bank of river Ganga in Badaun district.	931.49	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत
6	Scheme for construction of balance work of embankment (under construction) from Aiera Bridge to Ambarpur along left bank of river Sharda in Lakhempur Kheri district.	2374.00	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत

क्र॰ ं॰	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु॰ में)	स्थिति
7	Scheme for construction of marginal embankment upstream of Elgin Bridge along right bank of river Ghaghra in districts Barabanki.	17008.00	जल ंसाधन मंत्रालय की TAC द्वारा स्वीकृत
8	Project estimate for anti erosion works between km 0.650 of Main bund to km 13.600 of Sakraur Bhikharipur Ring bund along left bank of river Saryu/Ghaghra in Gonda district.	4151.00	जल ंसाधन मंत्रालय की TAC द्वारा स्वीकृत
9	Project estimate for anti erosion works to protect cluster of villages and Kadakka bund on right bank of river Rsmganga near villages Kadakka, Bir Singhpur, Naharaiya etc in Farrukhabad district	961.72	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत
10	Combined scheme for 9 flood protection schemes of Ghaghra river basin in the district of Basti.	8024.00	जल ंसाधन मंत्रालय की TAC द्वारा स्वीकृत
11	Project for protection of Abadi and residential area from flood on right bank of river Ganga from d/s of right guide bund to Ranighat in Kanpur district.	1392.00	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत
12	Revised project for construction of Balrampur-Bhadaria bund along right bank of river Rapti in Balrampur district	2561.00	जल ंसाधन मंत्रालय की TAC द्वारा स्वीकृत
13	Project for construction of Datnala-Baroda bund between Km. 0.00 to 15.400 on the R/B of river Ganga in the district of Kansiram Nagar (U.P.),	1418.00	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत
14	Project estimate for construction of Isampur Tat bund from km 0.00 to km 11.70 on left bank of river Ganga in Budaun (Bhim Nagar)	1381.00	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत
15	Revised project for R/S of Samaspur-Nardauli bund from km 0 to km 21.06 on R/B of Ganga in Kanshiramnagar	1498.00	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत

क्र. ं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	स्थिति
16	Project for construction of Marginal bund in Ramraj Khadar along right bank of river Ganga in Muzaffarnagar district.	2939.00	TAC Note बनाई जा रही है
17	Project for construction of pump house for pumping out flood water of Banda city by river Ken in Banda district.	1857.00	परीक्षण कर टिप्पणी राज्य रकार को भेजी गई
18	Project estimate for construction of Bairia-Sarya bund along right bank of river Rapti in the district of Gorakhpur.	3306.28	परीक्षण कर टिप्पणी राज्य रकार को भेजी गई
19	Scheme for raising & strengthening of Majhauli Chandauli bund, Khairat Raibari bund & its 2 km extension, Kukurghati Bhingari bund & its 1.5 km extension in district Deoria and raising & strengthening of (-) 1.27 km extension of Rajpur Barhara bund in district Kushinagar	1493.01	परीक्षण कर टिप्पणी राज्य रकार को भेजी गई
20	Scheme for flood protection works along left bank of river Ghaghra in Dewaria district.	1701.72	परीक्षण कर टिप्पणी राज्य रकार को भेजी गई
21	Scheme for construction of Ramganga embankment from Kothiwal Dental college to Bypass Road Bridge along right bank of river Ramganga in district Moradabad.	10079.00 13416.00	परीक्षण कर टिप्पणी राज्य रकार को भेजी गई
22	Revised project estimate of Marginal Embankment along right bank of river Sarda & Ghaghra from Aiera bridge to Chahlari Ghat from km 0.00 to km 52.62 in Lakhimpur Kheri district.	8864.75	परीक्षण कर टिप्पणी राज्य रकार को भेजी गई

क्र॰ ं॰	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु॰ में)	स्थिति
23	Project for flood protection works between km 0.500 to km 0.900, km 1.600 to km 1.970, & km 7.500 to km 7.800 of Bokta- Barwar bund in the district of Gorakhpur along right bank of river Rapti including brick on edge soling work between km 0.000 to km 11.250.	1343.58	परीक्षण कर टिप्पणी राज्य रकार को भेजी गई
24	Project estimate for restoration of A.P. bund from km 1.60 to 1.90 on right bank of river Gandak	1190.84	परीक्षण कर टिप्पणी राज्य रकार को भेजी गई
25	Project for flood protection works to protect village Shahpur, Belaon and Gigania on left bank of river Ghaghra in Gorakhpur district.	1236.92	लागत 12.5 करोड़ ` कम होने के कारण राज्य रकार को वापस की गई
26	Revised project for construction of Alipur-Barwara-LGC bund km 0.00 to km 15.00 on R/B of Ganga in Kanshiramnagar	994.96	लागत 12.5 करोड़ ` कम होने के कारण राज्य रकार को वापस की गई
27	Detailed project estimate for construction of pucca bathing ghat at Quila Ghat on left bank of river Yamuna in Allahabad City.	999.00	लागत 12.5 करोड़ ` कम होने के कारण राज्य रकार को वापस की गई
28	Project estimate of anti erosion works for protection of Sadiabad, Baghara, Bakshi Khurd,Daraganj Mohhalla and Nagbasuki temple situated on right bank of river Ganga in Allahabad city,	904.00	लागत 12.5 करोड़ ` कम होने के कारण राज्य रकार को वापस की गई
29	Project estimate for flood protection scheme of village Meerapur, Rafiabad and Bholapur on left bank of river Ramganga in Bareilly district.	788.70	लागत 12.5 करोड़ ` कम होने के कारण राज्य रकार को वापस की गई
30	Revised project estimate for construction of RCC Regulator at Nimni Nala and protection of Marginal embankment in the district of Banda. Phase-I	1206.78	लागत 12.5 करोड़ ` कम होने के कारण राज्य रकार को वापस की गई

क्र. ं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	स्थिति
31	Project estimate for protection of village group of Ballia-Bairia bund from km 27.100 to km 28.500 and B.S.T.bund from km 6.00 to km 7.00 by constructing pitching with launching apron on left bank of river Ganga in district Ballia	3489.98	परीक्षण कर टिप्पणी राज्य रकार को भेजी गई
	उत्तराखंड		
1	Project for flood protection and anti erosion work along both banks of Dhela, Phika and Levra rivers (tributaries of Ramganga river) in Ramnagar, Kashipur, Jaspur, and Bazpur blocks, District- Nainital and Udhamsingh Nagar	7582.00	परीक्षणाधीन
2	Anti erosion scheme for village Jogipura, Gobra and Bainthkeri along left bank of river Kosi and its tributaries Dabka in Distt. Udhamsingh Nagar of Uttarakhand	1496.00	परीक्षणाधीन
3	Flood protection scheme to protect villages, canals and roads from river Kosi in Betalghat block, District Nainital	3121.00	परीक्षणाधीन
4	Project for anti erosion scheme of nearby village at right bank of Sukhi river in block Haldwani, District Nainital	1627.00	परीक्षणाधीन
5	Flood protection scheme in district Nainital for protection of villages, crop land and roads at right bank of Gola river (Gola barrage to Shrilanka Tapu) and protect Gujora and Puranpur kumtiya at left bank of Bhakhra river	3171.00	परीक्षणाधीन
6	Flood protection scheme for protection of Ramnagar city alongwith Puchhari village in distt. Nainital	1489.00	परीक्षणाधीन
7	Project estimate for construction of flood protection works on left bank of river Solani in Laksar block, distt. Haridwar	2051.00	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत

क्र॰ सं॰	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु॰ में)	स्थिति
8	River training works (Marginal bunds and studs) for protection of population and agricultural land situated along both banks of river Solani of villages Rampur, Ibrahimpur, Solanipuram, Jamalpur etc. in Dist. Haridwar	3319.00	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत
9	Project for strengthening of old existing marginal bund on river Ganga and Baan Ganga in Dist. Haridwar	1753.00	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत
10	Project estimate for construction of studs and marginal bund for protection of population and agricultural land of villages situated at banks of river Solani in distt. Haridwar	1609.00	तकनीकी-आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत
11	Project estimate for construction of studs and marginal bund for protection of population and agricultural land of villages situated at banks of river Ganga in distt. Haridwar	3485.00	परीक्षणाधीन
12	Project for strengthening of right marginal bund on river Ganga from Bhogpur to Balawali (km 0.000 to 20.500) stage- IInd	1319.00	परीक्षणाधीन
13	Construction of flood protection work of Thature and Bhawan from Aglad river in Dist. Tehri	1444.00	परीक्षणाधीन
14	Flood protection scheme for villages Langha to Jamankhata near NH-72 from Gayana Khaad and Sheetla river in Vikashnagar block, district Dehradun of Uttarakhand	1360.00	परीक्षणाधीन
15	Flood protection works along Tons river and its tributaries in Mori block of district Uttarkashi	1335.00	परीक्षणाधीन

योजनाओ के परीक्षण की ंक्षिप्त स्थिति

राज्य	स्वीकृत योजनाएँ	योजना परीक्षण कर टिप्पणी भेजी गई	परीक्षणाधीन योजनाएं
बिहार	1	1	12
झारखंड	-	-	-
पश्चिम बंगाल	-	1	-
उत्तर प्रदेश	15	16	-
उत्तराखंड	4	-	11
हिमाचल प्रदेश	-	-	-
कुल	**20**	**18**	**33**

---

6 राज्यवार चल रही बाढ़-प्रबंधन योजनाओं का मॉनिटरिंग

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग केन्द्रीय निधि के अधीन की बाढ़-प्रबंधन योजनाओं की भौतिकी एवं वित्तीय प्रगति की मॉनिटरिंग करता है तथा मॉनिटरिंग रिपोर्ट जल ंसाधन मंत्रालय को नियमित रूप ` भेजे जाते हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान जी.एफ.सी.सी. के अधिकारियों द्वारा नीचे दिए गए ब्योरा के अनु ार बाढ़ प्रबंधन योजनाओं की मॉनिटरिंग की गयी तथा मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार कर उ` जल ंसाधन मंत्रालय को भेजा गया।

क्र॰ ं.	स्कीम कोड	योजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु॰ में)
		बिहार	
1	BR-1	Raising and Strengthening of Kamla embankment	5209.26
2	BR-2	Bagmati Flood Management embankment construction (Left bank 17.55 to 56.97 km, r/b 15.2 to 56.97 km)	13516.00
3	BR-9	Raising and strengthening of balance reaches of Tirhut embankment from 29.61- 83.40 km	2627.65
4	BR-21	Raising and Strengthening of Piprasi- Pipraghat embankment and GH portion in Bihar	1471.60
5	BR-31	Raising and Strengthening of Kosi embankment in Bihar	33939.00
6	BR-32	Raising, Strengthening and extension of Bhutahi Balan embankment	3714.00
7	BR-41	Extension of embankment on left and right bank of river Kamala Balan in length of 11.42 km and 5 km. with brick soling road on top in left over reaches and protection work at two points on extended portion of right Kamala Balan embankment	5611.54

क्र॰ ं॰	स्कीम कोड	योजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु॰ में)
8	BR-42	Raising and strengthening of Lower Noon embankments including brick soling road and other auxiliary works.	2671.00
9	BR-44	Anti erosion works on river Gandak at Salahpur Tandaspur Chharki and Magarpal Chhalki (Rs. 6.65 crore) and at Paharpur Manorath (PhaseII) (Rs. 7.59 crore)	1423.79
10	BR-46	Breach closure of Saran embankment of anti erosion work and strengthening of Patahara Chharki embankment on river Gandak Gopalganj district in Bihar	5714.00
11	BR-47	Flood protection works of Pipra- Piprasi embankment on right bank of river Gandak, Champaran district	2173.00
12	BR-48	Bagmati Flood Management Scheme Phase- II Sitamarhi, Darbhanga, Samastipur districts	12094.00
झारखंड			
1	JHK-1	Restoration , breach closure and protection work of right embankment of Siwaria Goregama scheme from Ch.0.00 to 855.00 along river Gerua	2012.00
2	JHK-2	Anti erosion work on the right bank of river Ganga at Narayanpur, Sahibganj district	927.00
3.	JHK-3	Anti-erosion work on the right bank of river Ganga from Budhwaria to Kanhaiyasthan, Sahibganj district	991.00
उत्तर प्रदेश			
1.	UP-12	Scheme for flood protection works along left & right bank of riverGhaghra in the districts of Bahraich, Barabanki, Gonda, Basti, Faizabad and Mau	841.53

क्र॰ ं.	स्कीम कोड	योजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु॰ में)
2.	UP-13	Flood protection works along right bank of river Gandak in the district of Kushinagar, Uttar Pradesh	604.89
3.	UP-14	Scheme for flood protection work on left & right bank of river Ganga in the distt of J P Nagar, Shahjahanpur, Meerut and Bulandshahar	1191.67
4.	UP-15	Scheme for flood protection work on left & right bank of river Rapti in districts of Sidharthnagar & Gorakhpur	1638.46
5.	UP-18	Scheme for flood protection work on left & right bank of river Yamuna in districts of Muzaffar Nagar, Baghpat, Ghaziabad, Gautam Budha Nagar, Aligarha and Mathura.	Not recommended due to non-receipt of UC
6.	UP-19	Scheme for flood protection work on right bank of river Kho and Kosi and left and right bank of river Ramganga in Bijnor and Moradabad districts	300.81
7.	UP-20	Scheme for flood protection work on left & right bank of river Hindon in districts of Baghpat & Gautam Budha Nagar.	322.01
उत्तराखंड			
1.	UK-01	Revised project estimate for construction of right marginal bund on river Ganga from Bhogpur to Balawali	2069.49
2	UK-05	Flood protection scheme in district-Nainital & district-Udhamsingh Nagar to protect chorgalia & Sitarganj area by Naundhaur river & its tributaries	1423.87

क्र. ं.	स्कीम कोड	योजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)
3	UK-06	Flood protection of ITITI Jhajhra along Tons river and villages along five tributaries of Yamuna basin rivers in district-Dehradun	1065.00
4	UK-07	Flood protection of village Shyampur along Bangala Nala and village Shyampur-Garhi along Goila Nala, tributaries of river Ganga, Rishikesh Dehradun	1058.00
5	UK-08	Flood protection of village Ruhada (Haripur) from Yamuna river in tribal block Kalsi, district Dehradun	1043.00
6	UK-09	Flood protection scheme for Indra colony in village Kalsi from Amlawa river in tribal block Chakrata, district Dehradun	793.00
पश्चिम बंगाल			
1.	WB-14	Project for bank protection work along both banks of river Bharigathi at Sunderpur and Basantpuram Kaziparato Nabagram and Saharbatito Uttarasan Outfall in the district of Murshidabad and at Sanyalchar in the district Nadia	2366.00
2.	WB-15	Scheme for bank protection works along the right of river Ganga-padma at Ichalipara, Moya, Galadarya, Pachim Beechpara (Bamnabad in district Murshidabad and Basumari in district Nadia	2813.00
3.	WB-17	Master Plan and DPR for Kaliaghai-Kapleshwari- Baghai drainage basin scheme	32520

मॉनिटरिंग रिपोर्ट एवं जी .एफ.सी.सी. की अनुशं ा के आधार पर जल ं ाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान बिहार , झारखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्य रकारों को कुल 104.53 करोड़ रू. की राशि स्वीकृत की गई। बाढ़-प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन वर्ष 2012-13 तक कुल 1787.54 करोड़ रू. की राशि दी गई, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र॰ सं॰	राज्य	अनुमोदित केंद्रीय सहायता	2012-13 में दी गई राशि	मार्च 2013 तक विमोचित राशि
1.	बिहार	1089.92	45.35	726.14
2.	झारखंड	29.48	4.27	21.34
3.	उत्तराखंड	104.62	-	49.62
4.	हिमाचल प्रदेश	31.21	-	16.20
5.	उत्तर प्रदेश	458.15	45.42	299.84
6.	पश्चिम बंगाल	1349.81	9.49	638.96
7.	10वीं योजना की स्कीमों पर	-	-	35.43
		3063.19	**104.53**	**1787.54**

---

7 नदी प्रबंधन तथा सीमा क्षेत्रों ` संबंधित कार्य

11वीं योजना अवधि के दौरान जल ंसाधन मंत्रालय ने जल ंसाधन विका एवं बाढ़-प्रबंधन क्रिया-कलापों के लिए "नदी प्रबंधन क्रिया- कलाप एवं ीमा क्षेत्रों ` ंबंधित कार्यों " शीर्षक ` एक योजना का काम लिया है। इ योजना में को ी एवं गंडक प्रोजेक्ट् की बा ढ़ ुरक्षा कार्यों का अनुरक्षण कार्य एवं भारत और बांग्लादेश के बीच ाझा / ीमा नदियों पर तट ुरक्षा कार्यों को करने के लिए प्रावधान की गई है।

7.0 को ी एवं गंडक प्रोजेक्ट् पर बाढ़ ुरक्षा कार्यों का अनुरक्षण

7.1 को ी पर ुरक्षा कार्य

को ी उच्च स्तरीय मिति का गठन वर्ष 1978 में उ मय के सिंचाई विभाग , बिहार रकार द्वारा अध्यक्ष, जी.एफ.सी.सी. की अध्यक्षता में किया गया था। इ मिति का काम नदी पर अबतक किए गए ुरक्षा कार्यों की मीक्षा / जांच करना तथा अगले बाढ़ मौ म ` पहले की जानी वाली ुरक्षात्मक उपायों की अनु शं ा करना है। तब ` यह मिति प्रत्येक वर्ष ुरक्षा कार्यों का निरीक्षण करती है तथा अगले बाढ़ मौ म ` पहले नदी पर किए जाने वाले ुरक्षा कार्य के ंबंध में अनुशं ा करती है। मिति की अनुशं ाओं के आधार पर राज्य रकार योजनाओं का निष्पादन करती हैं।

मिति का मौजूदा गठन नीचे दिया गया है :

1.	अध्यक्ष, जी.एफ.सी.सी., पटना	अध्यक्ष
2.	दस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली या उनके प्रतिनिधि	दस्य
3.	निदेशक, ी.डब्लू.पी.आर.एस., पुणे या उनके प्रतिनिधि	दस्य
4.	अभियंता प्रमुख(उत्तर), जल ंसाधन विभाग, बिहार रकार	दस्य
5.	मुख्य अभियंता, जल ंसाधन विभाग, बिहार रकार, दरभंगा	दस्य
6.	मुख्य अभियंता(अनु ंधान), जल ंसाधन विभाग, बिहार रकार, खगौल	दस्य
7.	मुख्य अभियंता (जल विज्ञान एवं प्रोजेक्ट प्लानिंग), जल ंसाधन विभाग, बिहार रकार	दस्य
8.	निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, जल ंसाधन विभाग, नेपाल रकार, विराट नगर	दस्य
9.	उप महानिदेशक, जल ंसाधन विभाग, नेपाल रकार, काठमांडू	दस्य
10.	मुख्य अभियंता, जल ंसाधन विभाग, बिहार रकार, वीरपुर	सदस्य- चिव

पिछले वर्षों की तरह को ी उच्च स्तरीय मिति ने नवंबर, 2012 में ुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया तथा वर्ष 2013 के बाढ़ ` पहले किए जाने वालेकार्यों की अनुशं ा की।

बिहार रकार द्वारा नेपाल क्षेत्र में किए जाने वाले ुरक्षा कार्यों पर की गई व्यय की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भारत रकार द्वारा की जा ती है। नेपाल क्षेत्र में को ी नदी की ुरक्षा में शामिल राशि की प्रतिपूर्ति बिहार रकार ` प्राप्त व्यय विवरण के आधार पर की जाती है।

7.2 गंडक नदी पर ुरक्षा कार्य

इ ी प्रकार गंडक उच्च स्तरीय मिति का आरंभिक गठन उ मय के सिंचाई मंत्रालय , भारत रकार के कार्या लय ज्ञापन ं. 10/12/80-एफ.सी. दिनांक 12 नवम्बर 1981 के द्वारा किया गया। इ मिति का कार्य 1981 के बाढ़ के दौरान उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों में गंडक नदी पर के दाहिने किनारे पर बाढ़ ुरक्षा कार्यों की कार्यकारिता मूल्यांकन करना तथा वर्ष 1981-82 के लिए दोनों राज्यों में निर्माण ंबंधी क्रियाकलापों पर दिशा- निर्देश जारी करना था। इ मिति की कार्य अवधि समय- मय पर बढ़ाई गयी। जल ंसाधन मंत्रालय के पत्रांक 5/15/2002/पू.न./गंगा/1219-27 दिनांक 21.3.2006 के द्वारा गंडक उच्च स्तरीय मिति का अब नया नाम "गंडक उच्च स्त रीय स्थायी मिति" हो गया है।

मिति के विचारार्थ विषय इ प्रकार हैं:-

- उत्तर प्रदेश एवं बिहार की राज्य रकारों द्वारा अब तक निष्पादित बाढ़ नियंत्रण एवं कटावरोधी कार्यों की मीक्षा करना तथा बाढ़ के दौरान उनकी कार्यकारिता मूल्यांकन का काम करना।
- कार्यों ` ंबंधित एक कार्यक्रम की अनुशं ा करना जि ` दोनों राज्यों द्वारा मन्वित रूप में निष्पादित किया जा के।
- राज्यों में निर्माण ंबंधी क्रिया- कलापों का मार्गदर्शन करना तथा यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उ के निराकरण हेतु किए जाने वाले कार्य हेतु लाह देना तथा यह भी ुनिश्चित करना कि प्रत्येक वर्ष जून तक राज्यों द्वारा भी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाएं।

अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग इ मिति के अध्यक्ष हैं। मिति का गठन नीचे दिया गया है:

1.	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	अध्यक्ष
2.	अभियंता प्रमुख, जल ंसाधन विभाग, बिहार रकार	दस्य
3.	अभियंता प्रमुख, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश रकार	दस्य
4.	केन्द्रीय जल एवं शक्ति अनु ंधान केन्द्र, पोस्ट-खड़गवा ला, पूणे के प्रतिनिधि	दस्य

5.	मुखय अभियंता(अनु ंधान), जल ंसाधन विभाग, बिहार रकार, पटना	दस्य
6.	निदेशक, सिंचाई अनु ंधान ंस्थान, उत्तराखण्ड रकार, रूड़की	दस्य
7.	निदेशक(मन्वय), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	सदस्य- चिव

इ के गठन ` लेकर वर्ष 2012-13 तक इ मिति की 45 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं तथा अगले बाढ़ ` पहले किए जाने वाले ुरक्षा कार्यों की अनुशं ाएं की ग ई हैं। ंबंधित राज्य रकारों ने मिति की अनुशं ाओं के अनु ार कार्यों का निष्पादन किया।

वर्ष 20121-13 के दौरान नवंबर 2012 माह में इ मिति के द्वारा बैठक / स्थल निरीक्षण किया गया तथा 2013 के बाढ़ ` पहले किए जाने वाले कार्यों की अनुशं ाएं की गई है। उत्तर प्र देश रकार द्वारा नेपाल क्षेत्र में गंडक नदी के दाहिने किनारे पर की गई बाढ़ ुरक्षा कार्यों पर किए गए व्यय राशि की प्रतिपूर्ति भारत रकार द्वारा की जाती है।

7.3 पश्चिम बंगाल में ाझी / ीमा पर स्थिति नदियों की योजनाएं

भारत और बंगलादेश के बीच 54 ाझी / सीमा नदियां है। बहुत ` स्थानों पर इन नदियों की प्रवृत्ति दोनों तरफ के किनारों के कटाव द्वारा इ के दिशा बदलने की रही है। दोनों देशों द्वारा गंभीर कटाव स्थलों की पहचान की गई है और दोनों देशों के परामर्श ` ऐ ` स्थलों के तट ुरक्षा कार्यों को अंतिम रूप दिया गया है।

गंगा बेसिन में 24 (चौबी) ऐसे स्थलों की पहचान की गयी है। ये भी स्थल ात नदियों यथा- महानन्दा, नागर, पुनर्भावा, अटारी, कुलिक, काराटोवा एवं टांगो पर स्थित है। सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल रकार उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत उन स्थलों के लिए तट ु रक्षा कार्य शुरू कर रहा है ।

केन्द्रीय योजना "नदी प्रबंधन क्रिया-कलापों एवं ीमा नदियों ` ंबंधित कार्य" के अधीन की राशि ` राज्य रकार द्वारा ाझी / ीमा नदियों पर उपयुक्त 24 स्थलों पर तट ुरक्षा कार्यों के लिए 13 (तेरह) योजनाएं ली गई है। उपर्युक्त सभी 13 योजनाओं को वर्ष 2012-13 तक पूर्ण कर ली गई हैं।

इ के अतिरिक्त भारत-बंगलादेश की ीमा पर इच्छामती नदी के गाद निकालने की योजना भी ली गई है और कार्य पूर्ण हुआ।

10 फरवरी 2012 को कोलकाता में आयोजित भारत और बांग्लादेश की ंयुक्त नदी आयोगकी तकनीकी स्तर बैठक में 12वीं योजना के दौरान भारत में कार्यान्वित की जाने वाले कुछ तट ुरक्षा कार्यों की पहचान की गई। पश्चिम बंगाल रकार ने इ ` ंबन्धित 25 योजनाएँ तकनीकी-आर्थिक परोक्षण हेतु जी॰एफ़॰ ी॰ ी॰ को भेजी है। इन 25 योजनाओं में ` 19 योजनाएँ जी॰एफ़॰ ी॰ ी॰ द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है जबकि 6 योजनाएँ परीक्षणाधीन है, जिसका ब्योरा निम्नवत है:

12वीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में ाझी / ीमा नदियों पर स्थिति योजनाएं की परीक्षण की स्थिति

क्र॰ ं॰	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु॰ में)	स्थिति
1	Protection to the left bank of river Atrai at downstream of Samjhia B.O.P. camp in P.S. Kumarganj, District- Dakshin Dinajpur (Phase- II) (Length- 240 m)	143.54	स्वीकृत
2	Protection to the left bank of river Atrai near Rasulpur B.O.P. camp in P.S. Kumarganj, District- Dakshin Dinajpur (Length- 1295 m)	873.19	स्वीकृत
3	Protection to the left bank of river Tulai near Purbasil B.O.P. camp in P.S. Kushmandi, District Dakshin Dinajpur (Length- 550 m)	218.63	स्वीकृत
4	Protection to the right bank of river Punarbhava near Mallickpur, B.O.P. camp in P.S. Gangarampur, District Dakshin Dinajpur (Length- 525m)	265.67	स्वीकृत
5	Protection to the left bank of river Tangon upstream and downstream of Iron bridge No. 1 near Kholtor B.O.P. camp in P.S. Kushmandi, district Dakshin Dinajpur (Length- 320 m)	153.81	स्वीकृत
6	Bank protection work along the right bank of river Mahananda from 445/10-S to 448/3-S under Phansidewa B.O.P. camp (Indian side) in P.S. Phansidewa, District Darjeeling (Length-450 m)	194.52	स्वीकृत
7	Bank protection work along the right bank of river Mahananda from 443/1-S to 445/10-S under Murikhewa B.O.P. camp (Indian side) in P.S. Phansidewa, District- Darjeeling (Length- 1250 m)	749.24	स्वीकृत
8	Bank protection work along the right bank of river Mahananda from 448/12-S to 730/M under Phansidewa B.O.P. camp (Indian side) in P.S. Phansidewa, District- Darjeeling (Length- 750 m)	321.62	स्वीकृत

क्र॰	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु॰ में)	स्थिति
9	Bank protection work along the right bank of river Mahananda from 731/M to 731/24-R Laldasjote B.O.P. camp in P.S. Phansidewa, District- Darjeeling (Length- 2200 m)	1061.03	स्वीकृत
10	Bank protection work along the left bank of river Mahananda at village Asrafpur in Mouza-Asrafpur in block and P.S. Habibpur, District- Malda (Length- 1100 m)	1095.61	स्वीकृत
11	Bank protection work along the left bank of river Mahananda at village Asrafpur in Mouza-Asrafpur (from Plot No. 609 to 777, near Border Gate No. 43) in block and P.S. Habibpur, District- Malda (Length- 950 m)	957.46	स्वीकृत
12	Bank protection work along the right bank of river Punarbhaba at Mouza-mahadebpur in B.O.P. Battali in block and P.S. Bamangola, District- Malda (Length- 300 m)	323.29	स्वीकृत
13	Bank protection work along the left bank of river Mahananda at village Jadavnagar and Chandra Para in B.O.P. Sukhnagar in block and P.S. Habibpur, District- Malda (Length- 250 m)	263.22	स्वीकृत
14	Bank protection work along the right bank of river Punarbhaba at Mouza-Nasratpur Pathar Mahadevbati within block and P.S. Habibpur, District- Malda under Anuradhapur B.O.P. (Length- 100 m)	710.75	स्वीकृत
15	Bank protection work along the left bank of river Mahananda in B.O.P. Asrafpur in Mouza-Asrafpur (from plot no. 785 to 1015) in block and P.S. Habibpur, district Malda (Length- 950 m)	968.60	स्वीकृत
16	Bank protection work along the right bank of river Punarbhaba at Mouza-Pathar Nasratpur and Dhaka Pathar within block and P.S. Habibpur, district Malda under Kaliabari B.O.P. (Length 1000 m)	709.27	स्वीकृत

क्र॰ सं॰	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु॰ में)	स्थिति
17	Bank protection work along the left bank of river Punarbhaba at village- Kalibari within Mouza- Anuradhapur (Ananda Pathar) in block and P.S. Habibpur, district Malda under Kalibari B.O.P. (Length- 400 m)	283.11	स्वीकृत
18	Protection to the right bank of river Nagar from erosion near Khunti B.O.P. camp and border fencing along the Indo-Bangladesh border in P.S. Jamalpur, district- Uttar Dinajpur (Length- 575 m)	220.84	परीक्षणाधीन
19	Protection to the left bank of river Kulik from erosion near Makorhat B.O.P. camp in P.S. Hemtabad, district- Uttar Dinajpur (Length- 350 m)	149.39	स्वीकृत
20	Protection to the right bank of river Nagar from erosion near Morageti B.O.P. camp and border fencing along the Indo- Bangladesh border in P.S. Islampur, district- Uttar Dinajpur (Length- 520 m)	200.81	परीक्षणाधीन
21	Protection to the right bank of river Nagar from erosion near Hatkhola B.O.P. camp and border fencing along the Indo- Bangladesh border in P.S. Islampur, district- Uttar Dinajpur (Length- 480 m)	212.34	परीक्षणाधीन
22	Protection to the right bank of river Nagar from erosion near Fatepur B.O.P. camp and border fencing along the Indo- Bangladesh border in P.S. Islampur, district- Uttar Dinajpur (Length- 450 m)	200.567	परीक्षणाधीन
23	Protection to the right bank of river Nagar from erosion near Sonamati B.O.P. camp and border fencing along the Indo- Bangladesh border in P.S. Islampur, district- Uttar Dinajpur (Length- 500 m)	202.87	परीक्षणाधीन
24	Protection to the left bank of river Tangon from erosion near Padmakumari and Chandgaon B.O.P. in P.S. Kalianganj, district- Uttar Dinajpur (Length- 900 m)	415.07	परीक्षणाधीन

क्र॰ सं॰	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु॰ में)	स्थिति
25	Protection to the right bank of river Korotoya from erosion near Barmanbasti B.O.P. camp and border fencing along the Indo-Bangladesh border in P.S. Chopra, district Uttar Dinajpur (Length-460 m)	224.02	स्वीकृत

उपर्युक्त उल्लिखित कार्य योजना के अधीन दी गई निधि का वर्षवार स्थिति नीचे दिया गया है:

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	राज्य	प्रदत्त निधि						
		07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	Total
1	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	17.51	71.31	39.49	शून्य	128.49

---

8 पड़ोसी देशों के ाथ हयोग

8.1 भारत-नेपाल हयोग

अनेक नदियां यथा - गंडक, बागमती, कमला, को ी नदी आदि का उद्गम नेपाल में है और भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करने ` पहले ये नदियां नेपाल के पर्वतीय रास्तों ` हो कर बहती हैं। ऊपरी क्षेत्रों में भारी वर्षा ` सिर्फ प्रचण्ड बाढ़ ही नहीं आती बल्कि भारत के मैदानी क्षेत्रों में भारी मात्रा में गाद भी लाती है। अतः दोनों देशों के बीच बाढ़ और गाद की मस्या को कम करने के लिए प्रभावकारी उपाय करने वास्ते उचित मन्वय के ाथ मे कित तरीके ` कार्य किया जाना है। इ ंदर्भ में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग भी तकनीकी जानकारी एवं दिशा- निर्देश प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

ामान्यतः नेपाल ` निकलने वाली नदियों के कारण बिहार एवं उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है। बाढ़ की मस्या का दीर्घकालिक निदान ऊपरी क्षेत्रों में वाटर शेड मैनेजमेंट एवं बाढ़ को कम करने के लिए फल्ड कुशन के ाथ बहुउदेश्शीय प्रोजेक्ट् के निर्माण में निहित है। चूंकि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जलाशयों/डैमों का उचित स्थलों की अवस्थिति नेपाल में हैं अतः इन नदियों पर डैमों/जलाशयों का निर्माण नेपाल रकार के ाथ हुए मझौता पर निर्भर करता है।

भारत रकार नेपाल ` निकलने वाली नदियों के भयानक बाढ़ ` होने वाले विनाश को कम करने के उद्धेश्य ` नेपाल रकार के ाथ लगातार वार्ता करती रही है। जल ंसाधन के क्षेत्र में हयोग हेतु उच्च स्तरीय वार्ता के लिए एक भारत-नेपाल मंत्री-स्तर ंयुक्त मिति गठित है जिसके भारत पक्ष का नेतृत्व माननीय केंद्रीय जल ंाधन मंत्री करते है। अबतक इ मिति की सिर्फ एक बैठक हुई है। मिति की पहली बैठक 15.2.2013 को हुई है। मौजूदा व्यवस्था एवं बेहतर मझदारी के ाथ कार्यों के कार्यान्वयन के लिए दोनों देशों के जल ंाधन चिवों के नेतृत्व में इंडो- नेपाल ज्वाईंट कमिटी ऑन वाटर रि ो ंज (जे.सी.डब्लू.आर) भी गठित है जिसके अधीन अन्य भी मितियां एवं अन्य मूह काम कर ती है। जे.सी.डब्लू.आर. की अबतक 7 बैठकें आयोजित हो चुकी है जि में बाढ़-प्रबंधन पहलुओं तथा नेपाल ` निकलने वाली नदियां यथा- स को ी नदी , न को ी नदी , पंचेश्वर बहुद्धेश्शीय प्रोजेक्ट् और अन्य ंबंधित विषय आदि हित जल ंसाधन `क्टर में द्विपक्षीय हयोग की मस्त बातें शामिल रहती हैं। जे.सी.डब्लू.आर. की पिछली बैठक जनवरी 2013 में हुई है।

बिहार में ुरक्षित क्षेत्र में नेपाल की ओर ` निकलने वाली बागमती , कमला, लालबकेया एवं खांडो नदियों के बाढ़ के पानी के फैलने ` रोकने के लिए दोनों पक्ष , भारतीय भाग में तटबंधों के क्रमशः ुदृढ़ीकरण के ाथ भारत-नेपाल ीमा ` नेपाल में ऊपरी भूमि तक इन नदियों ` लगेतटबंधों के विस्तार पर हमत हैं। इन पहलुओं ` ंबंधित कार्य निष्पादन विभिन्न चरणों में हैं।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग निम्नलिखित मितियों में प्रमुख या दस्य के रूप में तकनीकी हायता भी प्रदान करता है।

1. ंयुक्त स्थायी तकनीकी मिति (जे.एस.टी.सी.)

जल ंसाधन पर गठित भारत- नेपाल ंयुक्त मिति (जे.सी.डब्लू.आर) की काठमांडू (नेपाल) दिनांक 29.9.2008 ` 01.10.2008 तक आयोजित 03 बैठक के दौरान इ मिति का गठन किया गया था। जे.एस.टी.सी. का काम जे.सी.डब्लू.आर. के अधीन की मौजूदा मितियों एवं उप मितियों के कार्यों के बीच मन्वय स्थापित करना है। इ मिति का गठन (भारतीय पक्ष) एवं विचारार्थ विषय इ प्रकार हैं:

1.	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	दल प्रमुख
2.	आयुक्त(गंगा), जल ंसाधन मंत्रालय	दस्य
3.	ंयुक्त चिव(जल विज्ञान), ऊर्जा मंत्रालय	दस्य
4.	मुख्य अभियंता (यू.जी.बी.ओ.), केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ	दस्य
5.	मुख्य अभियंता(एच.पी.एण्ड. आई.), ी.ई.ए.	दस्य
6.	निदेशक(उत्तर), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	दस्य
7.	ई.ओ.आई., काठमांडू के प्रतिनिधि	दस्य
8.	अभियंता प्रमुख(उत्तर), जल ंाधन विभाग, बिहार रकार	दस्य
9.	उत्तर प्रदेश रकार के प्रतिनिधि	दस्य
10.	पश्चिम बंगाल रकार के प्रतिनिधि	दस्य
11.	उत्तराखण्ड रकार के प्रतिनिधि	दस्य
12.	वरीय ंयुक्त आयुक्त, जल ंसाधन मंत्रालय	सदस्य- चिव

जे.एस.टी.सी. के विचारार्थ विषय

1. जे.सी.डब्लू.आर.के अधीन भी मौजूदा मितियों एवं उप मितियों का मन्वय करना।

जे.एस.टी.सी. की अबतक तीन बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। इ मिति की अंतिम बैठक दिनांक 13-14 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी , जिसमें द्विपक्षीय रोकार पर विचार-विमर्श हुए तथा निर्णय लिए गए।

2. जल प्लावन एवं बाढ़प्रबंधन पर गठित ंयुक्त मिति (जे.सी.आई.एफ.एम.)

इ मिति का गठन जल ंसाधन पर गठित भारत- नेपाल ंयुक्त मिति की नई दिल्ली मे दिनांक 12-13 मार्च, 2009 को आयोजित चौथी बैठक में किया गया था। यह मिति पूर्व के द्विपक्षीय मिति यथा- एस.सी.आई.पी., एच.एल.टी.सी., जे.सी.एफ.एस.एम., एस.सी.ई.सी. एवं एस.सी.एफ.एफ. का स्थान लेगी। इ मिति (भारतीय पक्ष) का गठन एवं इ के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं	भारतीय पक्ष का गठन	
1.	सदस्य(मन्वय), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	दल प्रमुख
2.	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	दस्य

3.	मुख्य अभियंता, जल ंसाधन विभाग, बिहार रकार/ मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश रकार/ अध्यक्ष, उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग, पश्चिम बंगाल रकार	दस्य
4.	निदेशक(उत्तर), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	दस्य
5.	वरीय ंयुक्त आयुक्त, जल ंसाधन मंत्रालय	दस्य
6.	ई.ओ.आई., काठमांडू के प्रतिनिधि	दस्य
7.	निदेशक(एम.पी.-2), जी.एफ.सी.सी., पटना	सदस्य- चिव
8.	निदेशक(वित्त), विदेश मंत्रालय/जल ंसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली	निमंत्रित

जे.सी.आई.एफ.एम. के विचारार्थ विषय

1. जे.सी.आई.एफ.एम. जल प्लावन एवं बाढ़ मामले में जे .सी.टी.सी. के निर्णयों के कार्यान्वयन में ुरक्षा मिति के रूप में काम करती है।
2. जे.सी.आई.एफ.एम. बाढ़ प्रबंधन ` ंबंधित विषयों का काम करेगी तथा यदि आवश्यकता हुई तो टॉस्क मूह (मूहों) का गठन कर कती है।
3. जे.सी.आई.एफ.एम. कार्यों की प्रगति का मॉनिटरिंग करेगी तथा टॉस्क मूह (मूहों) को दिशा-निर्देश प्रदान करेगी और जे.सी.टी.सी. को रिपोर्ट भेजती है।

जे.सी.आई.एफ.एम. की अबतक सात बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। अंतिम जांच / बैठक मार्च, 2013 में नेपाल में हुई है, जिसमें जल प्लावन एवं बाढ़ प्रबंधन ` ंबंधित विभिन्न ाझा मामलों पर विचार-विमर्श हुआ तथा निर्णय लिए गए।

8.2 भारत-बंगलादेश हयोग

भारत-बांग्लादेश ंयुक्त नदी आयोग (जे.आर.सी.) का गठन नवम्बर , 1972 में भारत और बंगलादेश के बीच ाझी/ ीमा नदियों ` ंबंधित विषयों पर विचार-विमर्श एवं उ के माधान के लिए किया गया था। यह ंगठन ाझा / ीमा नदियों पर विका कार्यों ` ंबंधित ाझा मस्याओं के माधान हेतु एक मंच प्रदान करती है और इ ` कि ी भी पक्ष को कोई नुक ान नहीं है।

उपर्युक्त आयोग के ंरक्षण में नियमित अंतराल पर तथा विभिन्न स्तरों पर ंबंधित विषयों पर विचार- विमर्श हेतु बैठकें आयोजित हुई है। ऐ ी बैठकों में लिए गए निर्णयों का आयोग द्वारा अभिपुष्टि की जाती है।

ाझा/ ीमा नदियों में बाढ़ प्रबंधन ` ंबंधित विभिन्न विषयों पर विचार- विमर्श हुए हैं। गंगा बेसिन ` ंबंधित विषयों पर हुए विचार-विमर्श का ारांश नीचे दिए गए हैं :-

तट ुरक्षा कार्य

भारत और बांग्लादेश के बीच की ाझी /सीमा नदियॉ प्रायः जलोढ मैदानी भूभाग ` होकर बहती हैं तथा विसर्पी होने के कारण मार्ग परिवर्तित करती है और दोनों तटों पर कटाव करती है। मर्मस्थलों पर कटाव रोकने हेतु तट ुरक्षा कार्य जरूरी है। इ विषय पर जे .आर.सी. की वर्ष 2005

की 36वीं बैठक एवं बाद के विभिन्न अव रों पर विचार- विमर्श हुआ था। बाद में अगस्त , 2007 में भारत-बंगलादेश के बीच चिव, जल ंसाधन स्तर की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पहचान किए गए स्थलों पर तट ुरक्षा कार्य का म्पादन मान विनिर्दिष्ट कार्यों के ाथ तीन लगातार कार्य त्रों के निर्दिष्ट मय में दोनों ओर पर एक ही मय में किए जाए। दि म्बर , 2009 में तकनीकी स्तर की बैठक में लिए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों को अंतिम रूप दिया गया। दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान किए गए ूची के अनु ार भारत में 41 स्थलों और बंगलादेश में 28 स्थलों पर तट ुरक्षा कार्य प्रस्तावित थे। आवश्यकतानु ार और स्थलों को भी शामिल करने की आप ी हमति थी।

इच्छामती नदी का ड्रेजिंग

इच्छामती नदी के आवाह क्षेत्र को जल निका /जमाव की मस्या ` छुटकारा दिलाने हेतु इच्छामती नदी के ड्रेजिंग ` ंबंधित विषय पर मई, 2005 के बाद कई बैठको में विचार-विमर्श किया गया । इन बैठको में लिए गए निर्णयो के अनु ार, इच्छामती नदी के बोरनोबेरिया ` कलांची के बी.एस.एफ. ब्रीज तक (कुल लम्बाई 20.415 कि.मी.) ` गाद मुक्ति कार्य मार्च , 2010 में आरंभ किया गया । यह योजना वर्ष 2012-13 में पूर्ण हुई।

---

9 हिंदी के प्रयोग की प्रगति

9.1 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में इ आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन मिति गठित है। इ मिति में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के दोनों दस्य , भी निदेशक एवं उप निदेशक, प्रशा न अधिकारी , अध्यक्ष के आप्त चिव , हायक निदेशक (राजभाषा), हिंदी अनुवादक , आयोग के भी शाखा प्रधान के ाथ उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा हिंदी शिक्षण योजना के एक अधिकारी इ के दस्य हैं। इ आयोग के हायक निदेशक (राजभाषा) इ मिति के दस्य- चिव हैं। इ मिति की बैठक प्रत्येक तिमाही आयोजित की जाती है। इन बैठकों में तिमाही प्रगति प्रतिवेदनों पर विस्तृत विचार- विमर्श किए जाते हैं और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। यह मिति इ आयोग के दिन- प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के वास्तविक स्थिति के आंकलन का काम करती है और कार्य म्पादन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उपाय ुझाए जाते हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान इ मिति की चार बैठकें आयोजित हुई थी।

अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग , जल ंसाधन मंत्रालय की हिंदी लाहकार मिति और पटना नगर राजभाषा कार्यान्वयन मिति के भी दस्य हैं। इ आयोग के अध्यक्ष या कोई वरिष्ठ अधिकारी उपर्युक्त मितियों की बैठकों में नियमित रूप ` भाग लेते हैं।

9.2 उपलब्धियां

9.2.1 वर्ष 2012-13 की उपलब्धियां

वर्ष 2012-13 के दौरान ामान्यतः भी कार्यालय आदेश द्विभाषी यथा- हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए। वर्ष 2012-13 के दौरान जी.एफ.सी.सी. द्वारा कुल 5654 पत्रादि जारी किए गए जिसमें 4427 पत्रादि हिंदी में थे। क्षेत्रवार ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	क्षेत्र	कुल निर्गत पत्रादि	हिंदी में निर्गत पत्रादि
1.	क	5503	4297
2.	ख	21	19
3.	ग	130	111
	कुल	**5654**	**4427**

हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्धेश्य ` दिनांक 14.9.2012 ` 28.9.2012 तक 'हिंदी पखवाड़ा ' मनाया गया। इ अवधि में आयोग के कर्मचारियों के बीच हिंदी निबंध , टिप्पण/आलेखन, ामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मूल्यांकन पश्चात् सभी विजेताओं के बीच पुरस्कारों का वितरण किया गया।

आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया गया:

(क) हिंदी निबंध प्रतियोगिता		
क्र.सं.	**नाम/पदनाम**	**पुरस्कार**
1.	श्री दिलीप कुमार ि ंह, कनिस्ठ ंगणक	प्रथम
2.	श्री राजीव कुमार पाण्डेय, आशुलिपिक	द्वितीय
3.	श्री तीश कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	तृतीय
4.	श्री ताप कुमार दा , आशुलिपिक	प्रोत ाहन

(ख) हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता		
क्र.सं.	**नाम/पदनाम**	**पुरस्कार**
1.	श्री चिन्द्र कुमार शर्मा, वरीय ंगणक	प्रथम
2.	श्री पप्पू लाल, अवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय
3.	श्री दिलीप कुमार ि ंह, कनिस्ठ ंगणक	तृतीय

(ग) ामान्य हिंदी/ज्ञान प्रतियोगिता (ि र्फ 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों के लिए)		
क्र.सं.	**नाम/पदनाम**	**पुरस्कार**
1.	श्री बाल्मीकि प्रसाद, खला ी	प्रथम
2.	श्री रामेश्वर यादव, खला ी	द्वितीय
3.	श्री इन्द्रदेव पा वान, आदेशपाल	तृतीय

---

10 प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं एवं `मिनारों में भागीदारी

वर्ष 2012-13 के दौरान गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं `मीनारों में नीचे दिए गए ब्योरा के अनु ार भाग लिया गया:

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशाला/ `मीनार	अवधि	अधिकारियों के नाम
1.	ISTM, नई दिल्ली द्वारा आयोजित " रकारी कार्यालयों में ख़रीदारी की देखरेख करने वाले राजपत्रित अधिकारियों के लिए रकार में ख़रीदारी की प्रबंधन" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	21.05.2012 से 23.05.2012	श्री एस॰ एन॰ सिंह, उपनिदेशक(एम॰पी॰-II)
2.	ISTM, नई दिल्ली द्वारा आयोजित "वेतन निर्धारण पर कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए वेतन निर्धारण" विषय पर कार्यशाला	22.08.2012 से 24.08.2012	श्री तीश कुमार , अवर श्रेणी लिपिक
3.	ISTM, नई दिल्ली द्वारा आयोजित "अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए माइक्रो ॉफ़्ट ऑफिस पावर पॉइंट" विषय पर कार्यशाला	27.08.2012 से 29.08.2012	श्री तेन्द्र नारायण, प्रारूपकार ग्रेड-II
4.	ISTM, नई दिल्ली द्वारा आयोजित "Behavioral skills" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	18.03.2013 से 22.03.2013	श्री चिन्द्र कुमार शर्मा, वरीय संगणक
5.	आई॰आई॰टी॰ दिल्ली में आयोजित भारतीय भू-तकनीकी म्मेलन	13.12.2012 से 15.12.2012	श्री बिभा कुमार, अध्यक्ष

---

11 विभिन्न मितियों में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का प्रतिनिधित्व

अध्यक्ष, जी.एफ.सी.सी. और अन्य वरीय अधिकारियों का विभिन्न तकनीकी मितियों में या तो अध्यक्ष, दस्य- चिव या दस्य के रूप में जी .एफ.सी.सी. का प्रतिनिधित्व है। ऐसी मितियों की ूची निम्नवत है:

क्र. सं.	मिति/बोर्ड/विशेषज्ञों/तकनीकी मूह आदि का नाम	जी.एफ.सी.सी. का प्रतिनिधित्व	
		अधिकारी	स्थिति
1	गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद्	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य- चिव
2	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	अध्यक्ष
3	गंडक उच्च स्तरीय स्थायी मिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	अध्यक्ष
4	को ी उच्च स्तरीय मिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
5	जल ंसाधन पर भारत-नेपाल मिनिस्ट्रेरियल ंयुक्त मिति(जे.एम.सी.डब्लू.आर.)	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
6	जल ंसाधन पर भारत-नेपाल ंयुक्त मिति (जे.सी.डब्लू.आर.)	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
7	भारत-नेपाल ंयुक्त स्थायी तकनीकी मिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	भारतीय दल प्रमुख
8	जल प्लावन एवं बाढ़ प्रबंधन पर भारत-नेपाल ंयुक्त मिति (जे.सी.आई.एफ.एम.)	सदस्य(मन्वय), गं.बा.नि.आ.	दल प्रमुख
9	को ी एवं गंडक प्रोजेक्ट् पर भारत-नेपाल ंयुक्त मिति	सदस्य(मन्वय), गं.बा.नि.आ.	सदस्य
10	नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ो इटी	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
11	उत्तर प्रदेश राज्य अभियंता मिति	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
12	बिहार राज्य अभियंता मिति	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
13	पश्चिम बंगाल राज्य अभियंता मिति	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
14	मध्य प्रदेश राज्य अभियंता मिति	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	अध्यक्ष
15	तकनीकी लाहकार मिति, फरक्का बराज प्रोजेक्ट	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ. /सदस्य(योजना)	सदस्य
16	फरक्का बराज प्रोजेक्ट लाहकार मिति	सदस्य(योजना)	सदस्य
17	फरक्का बराज प्रोजेक्ट की निविदा मिति	सदस्य(योजना)	सदस्य
18	तकनीकी लाहकार मिति, बिहार	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
19	तकनीकी लाहकार मिति, उत्तर प्रदेश	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
20	तकनीकी लाहकार मिति, हिमाचल प्रदेश	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
21	तकनीकी लाहकार मिति, हरियाणा	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य

क्र. सं.	मिति/बोर्ड/विशेषज्ञों/तकनीकी मूह आदि का नाम	जी.एफ.सी.सी. का प्रतिनिधित्व	
		अधिकारी	स्थिति
22	तकनीकी लाहकार मिति, राजस्थान	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
23	तकनीकी लाहकार मिति, पश्चिम बंगाल राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद्	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
24	तकनीकी लाहकार मिति, झारखण्ड	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
25	तकनीकी लाहकार मिति, उत्तराखण्ड	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
26	तकनीकी लाहकार मिति, छत्ती गढ़	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
27	तकनीकी लाहकार मिति, मध्य प्रदेश	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
28	यमुना स्थायी मिति	सदस्य(योजना), गं.बा.नि.आ.	सदस्य
29	मुद्र तट ुरक्षा एवं विका लाहकार मिति	सदस्य(योजना), गं.बा.नि.आ.	सदस्य
30	एन.एन.आर.एम.एस., जल ंसाधन पर स्थायी मिति (एस.सी.डब्लू.आर.)	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
31	एन.आई.एच.रिजिनल कॉआर्डिनेशन कमिटी फॉर गंगा प्लेन नार्थ रिजिनल ेन्टर	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
32	वाटर रि ो ॅज डिवीजन काउं िल ऑफ व्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ. विकल्प में- दस्य (सम.), गं.बा.नि.आ.	सदस्य
33	रिवर ट्रेनिंग एण्ड डायवर्सन वर्क्स ेक्शनल कमिटी (डब्लू.आर.डी.-22) ऑफ व्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड	निदेशक(एम.पी.-II), जी.एफ.सी.सी. विकल्प में- निदेशक(योजना), जी.एफ.सी.सी.	सदस्य

——————————

झलकियाँ

माननीय जल संसाधन मंत्री श्री हरीश रावत की अध्यक्षता में 16.1.2013 को नई दिल्ली में आयोजित गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद की 16वीं बैठक

श्री बिभा कुमार, अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में 12.3.2013 को दिल्ली में आयोजित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की 44वीं बैठक

झलकियाँ

24 मार्च 2013 को काठमांडू में आयोजित 7वीं जे॰सी॰आई॰एफ़॰एम॰ की बैठक के दौरान कार्यवृत पर हस्ताक्षर

हिन्दी पखवारा 2012 के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में फल अधिकारियों को पुरस्कार का वितरण

झलकियाँ

हरिद्वार जिला में गंगा नदी पर तटबंध का निर्माण

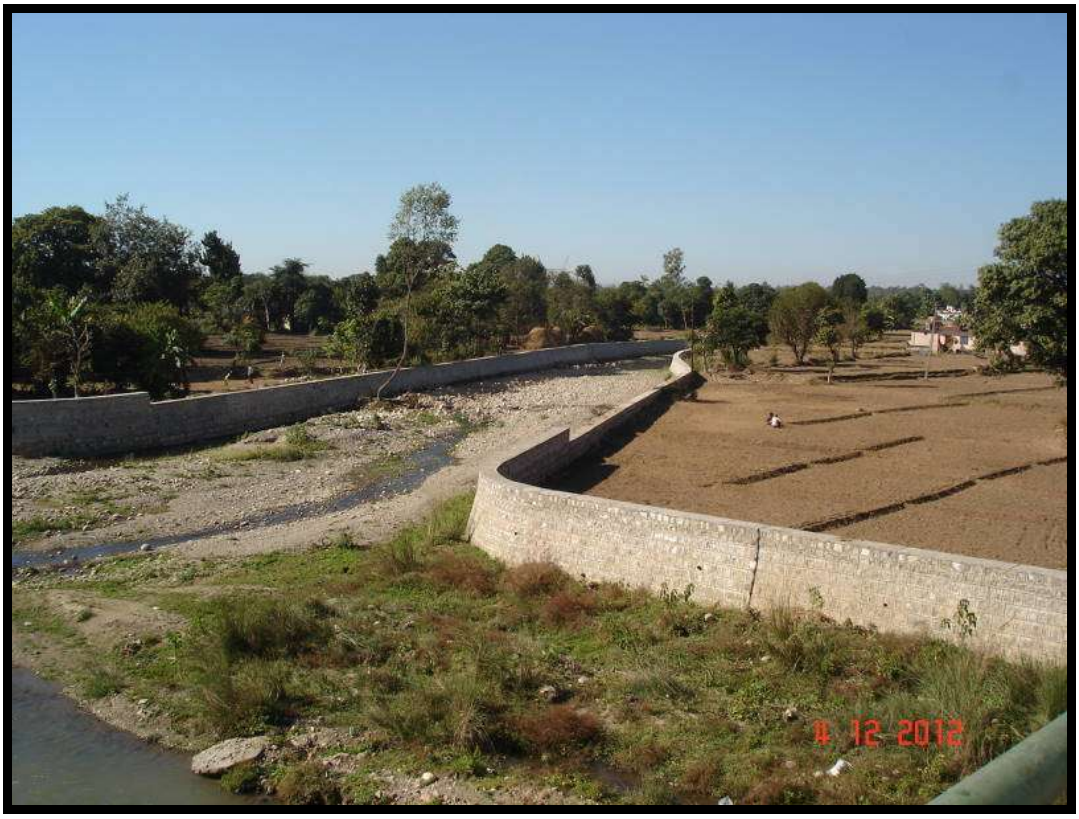

उत्तराखंड में बंगला नाला नदी पर नदी चैनेलाइ ` न कार्य का निर्माण

झलकियाँ

नेपाल में कमला नदी पर भारत   रकार के ंपोषण ` निर्मित कटाव अवरोधी कार्य (पत्थर का स्पर)

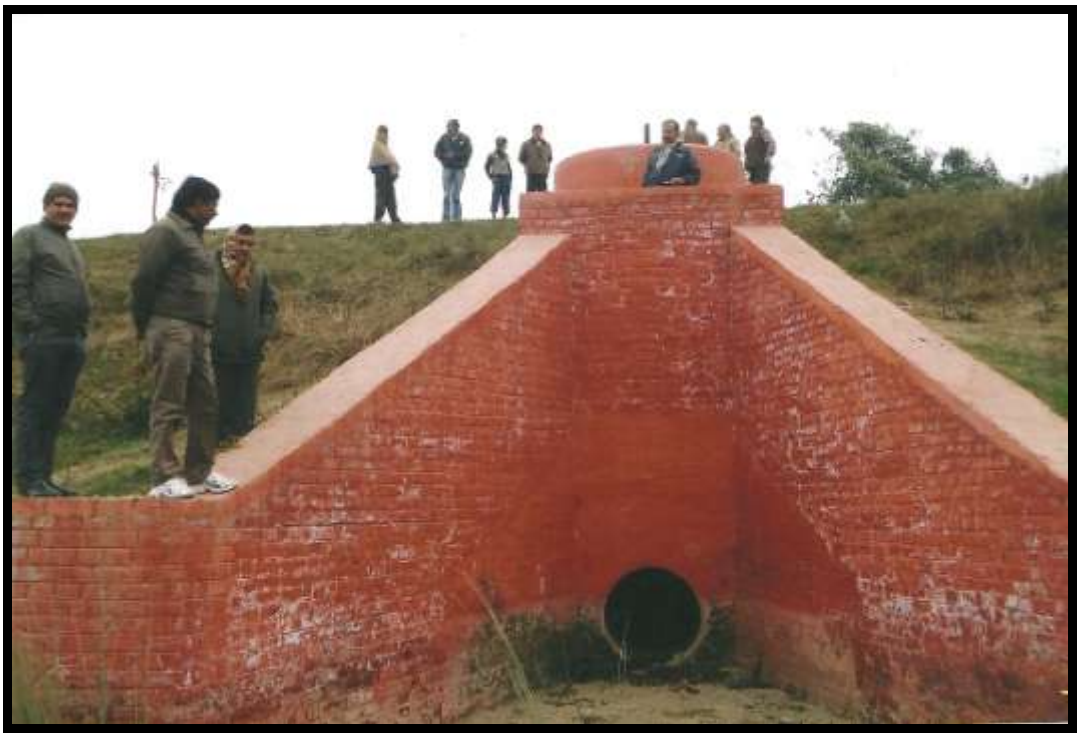

बिहार में बागमती नदी के तटबंद पर एंटी फ़्लड स्लूइ   का निर्माण